▶▶ कृषि ▶▶ समीक्षा ▶▶ मुद्दा

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

फाल्गुन–चैत्र 2075, मार्च 2019

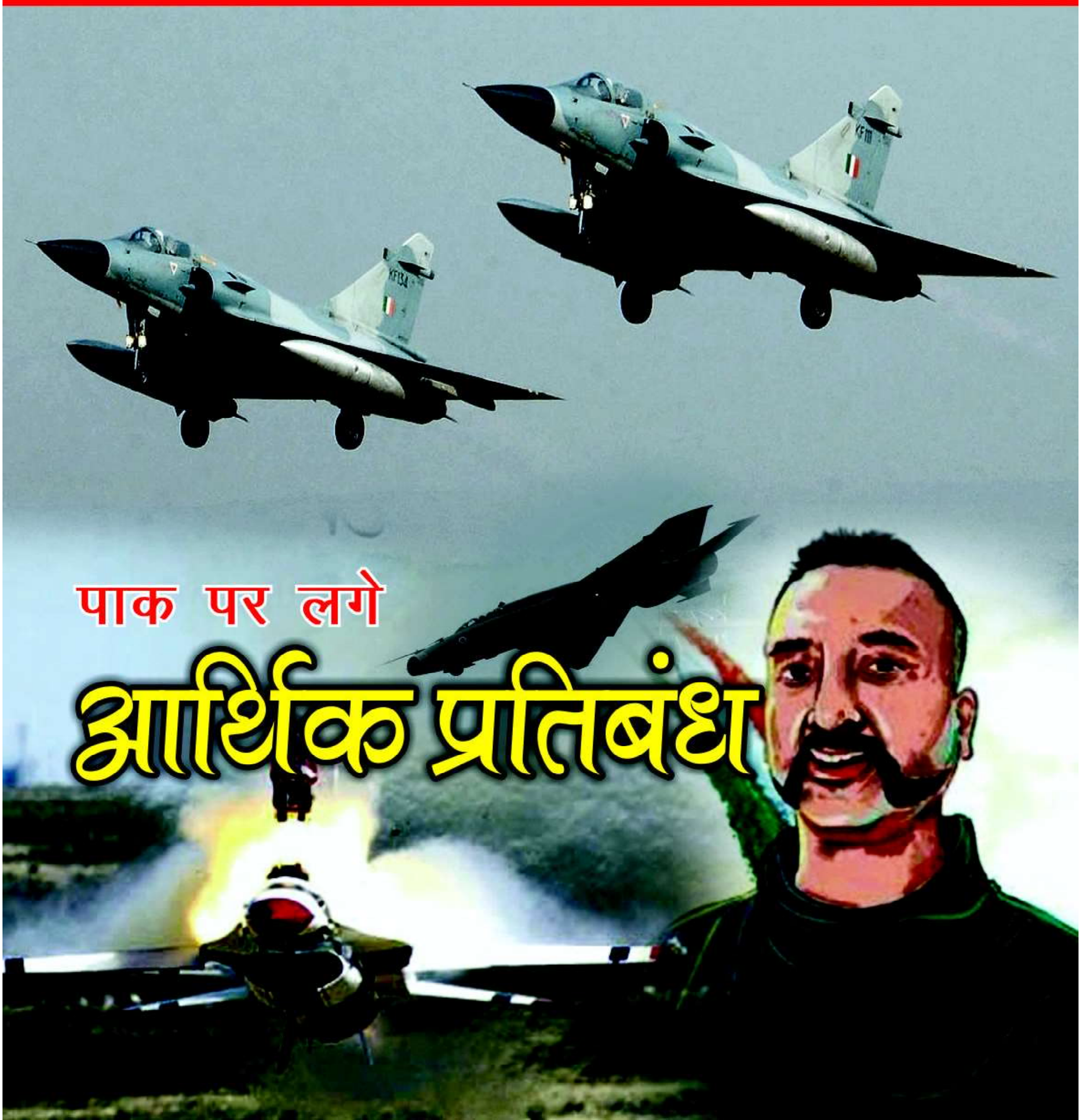

VOICE OF SELF RELIANT INDIA

स्वदेशी
पत्रिका

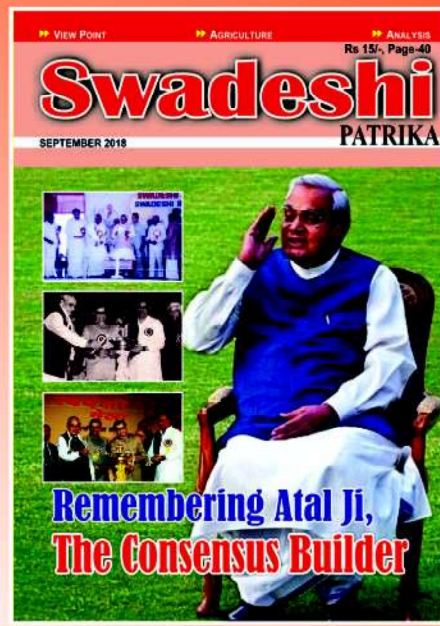

SWADESHI
Patrika

वार्षिक सदस्यता **(Annual Subscription) :**	**150/-**
आजीवन सदस्यता **(Life Membership) :**	**1500/-**

For subscription please send payment by A/c payee Cheque/Demand Draft/Money Order in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in

Bank of India, *A/c No.* **602510110002740,**
IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

Kindly write your full name and address in capital letters.
If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately or contact **Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)**

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

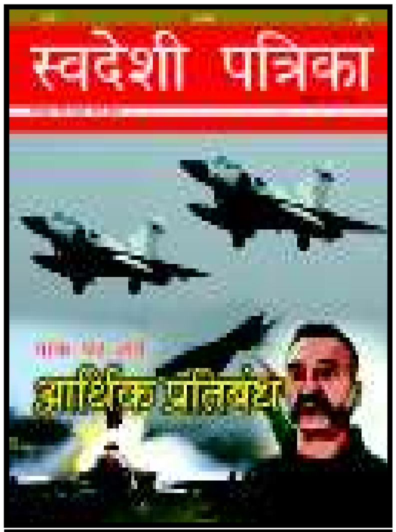

वर्ष–27, अंक–3
फाल्गुन–चैत्र 2075 मार्च 2019

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अनुक्रम

आवरण कथा – पृष्ठ–6

पाकिस्तान पर भारत का शिंकजा
अवधेश कुमार

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा
'सर्जिकल स्ट्राइक–टू' का अभिनन्दन
.... दुलीचंद रमन

10 मुद्दा
अमरीका के दबाव में न आये भारत
.... डॉ. अश्वनी महाजन

12 विचार विमर्श
बौद्धिक संपदा में भारत की छलांग
.... अनिल तिवारी

14 आकलन
आगे बढ़ता भारत
.... स्वदेशी संवाद

16 विमर्श
सरकारी बैंकों में बढ़ता एनपीए एवं घोटाले
.... डॉ. विजय वशिष्ठ

19 खेतीबारी
कर्ज माफी से आर्थिक मदद की ओर
.... देविन्दर शर्मा

23 विचार
छोटे उद्योगों को समर्थन क्यों और कैसे?
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

25 शिक्षा
व्यावसायीकरण से हट कर विकास हो शिक्षा का उद्देश्य
.... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

27 रिपोर्ट
चीनी फैक्ट्री के प्रदूषण से त्रस्त अनेक गांव
.... भारत डोगरा

29 आरक्षण
आरक्षण व्यवस्था एवं उसका प्रभाव
.... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

32 आरक्षण
आरक्षण राजनीति नहीं, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का माध्यम
.... विक्रम उपाध्याय

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 32-37

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

पाठकनामा

भारत की कूटनीतिक जीत

बीते तीन दशकों से पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे छद्म युद्ध से भारत को काफी नुकसान हो चुका है और यह युद्ध इमरान के शासनकाल में भी बाकायदा जारी है। हाल ही में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर फियादीन हमला बोला गया। सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हो गये। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े। भारत की जनता के भावनाओं पर खरा उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की धरती से चलाये जा रहे आतंक के कार्यक्रमों को समूल नष्ट करने के लिए जैश के ठिकानों पर हवाई हमला कर आतंकी किलों को जमीदोंज कर दिया।

हालांकि झेप मिटाने के लिए पाकिस्तान ने भी अपने एफ–16 विमानों को भारत की ओर भेजा, लेकिन चौकस भारतीय वायु सेना ने कड़ा जवाब देते हुए उन्हें अपनी हद में रहने की गंभीर सीख दे दी। इस कार्यवाही में हमारा एक जाबाज पायलेट पाकिस्तान की ओर चला गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दवाब और केंद्र की राजग सरकार की कूटनीति के चलते जल्दी ही भारत भेज दिया गया। पाकिस्तान अभी भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। वहीं हमारे देश के कुछ नेता भी पाकिस्तान की भाषा ही बोल रहे है। ऐसे में आवश्यक है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह के प्रतिबंधों के साथ एक ओर निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। साथ ही देश के भीतर जो उल्टे सुर निकल रहे है, उन पर भी लगाम लगाने की कोशिश होनी चाहिए तथा पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती जैसे अलगाव की सोच रखने वालों को जल्दी से जल्दी जेल के भीतर डाल देना चाहिए।

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

पुलवामा में शहीद हुए जवानों की तेरहवीं का श्राद्ध सही तरह से पूर्ण हुआ है।

डॉ. मोहन भागवत (सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)

अमेरिका ने पिछले १५ वर्षों में पाकिस्तान को मूर्खतापूर्ण तरीके से ३३ बिलियन डालर से अधिक की सहायता दी है, और उन्होंने हमें झूठ बोलने, धोखा देने और हमारे नेताओं को मूर्ख समझने के अलावा कुछ नहीं किया है। वे अफगानिस्तान में उन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जिनसे हमें लड़ना पड़ता है। अब और नहीं!

डोनाल्ड ट्रंप (राष्ट्रपति, अमरीका)

पृथ्वी को मानवता के दुश्मनों से बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। हम बुरी आत्माओं तथा पीड़ितों को पूरी प्रामाणिकता के साथ एक ही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)

आतंकवाद की जड़ों तक प्रहार करने के लिए प्रतिबद्ध और जनभावनाओं के अनुरूप दृढ़ता दिखाने में सक्षम यह बदला हुआ भारत है, जो इस देश पर बुरी नजर डालने वालों को न भूलेगा, न माफ करेगा।

निर्मला सीतारमण (रक्षा मंत्री, भारत)

यहां तक कि पाकिस्तान में टीवी चैनल आतंकवादियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग पाकिस्तान को इशारों-इशारों में पवित्र मानते हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन (सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच)

पाक पर लगें आर्थिक प्रतिबंध

पाकिस्तान ने एक बार फिर एक कायराना हमले द्वारा भारत को ललकारा है। चाहे पाकिस्तान कितनी भी बहानेबाजी करे, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि 44 सुरक्षा बल जवानों पर यह कायराना हमला आतंकी सरगना हाफिज सईद की ही करतूत है। तथाकथित रूप से प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई पाकिस्तान की सरकार स्वयं भी आतंकियों की ही बंधक सरकार है। इसलिए पाकिस्तानी फौज, आईएसआई और सरकार में कोई अंतर नहीं है। मुंबई आतंकी हमले से लेकर पुलवामा आतंकी हमले को तक इसी आतंकी ने अंजाम दिया है। पूरी दुनिया इसके बार में एकमत है लेकिन पाकिस्तान के दोस्त चीन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर लगातार रोड़े अटकाये जाते रहे हैं।

पाकिस्तानी हुक्मरानों के भारत विरोधी और आतंकी समर्थक रवैये के चलते पाकिस्तान स्वयं की बरबादी के रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान की आवाम की तरक्की में यह रवैया आड़े आ रहा है। अगर भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाये तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की जनता इस रवैये की बड़ी शिकार है। पाकिस्तान विदेशी कर्ज में डूबता जा रहा है। आज जहां भारत के पास 400 अबर डालर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है, पाकिस्तान 2 अरब डालर के ऋणात्मक विदेशी मुद्रा भंडार के साथ अपने देश की आर्थिक संप्रभुता को बचाने के लिए जूझ रहा है। गांवों तक सड़क तो दूर, उनके बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चरमराया हुआ है। विकास का नामोनिशान भी पाकिस्तान में नहीं है।

आज पाकिस्तान अपने पुराने विदेशी कर्ज़ को चुकाने की भी स्थिति में नहीं है। पाकिस्तानी उद्योगों की बदहाली और बिगड़ती क़ानून व्यवस्था के चलते एक ओर उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं तो दूसरी ओर विदेशी निवेशक भी पाकिस्तान से मुँह मोड़ चुके हैं। पिछले काफ़ी समय से चीन पाकिस्तान में कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से जुड़े आयातों के बढ़ते जाने से भी उसके भुगतान शेष की समस्या में बिगाड़ आया है और पाकिस्तान पर चीन का कर्ज़ बढ़ता जा रहा है।

आज जब दुनिया आतंकवाद के कहर से त्रस्त है, पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े पनाहगार के रूप में जाना जाता है। अमरीका के 'ट्विन टावर' विध्वंस का गुनहगार ओसामा बिन लादेन हो या मुंबई पर आतंकी हमले का सरगना हाफिज सईद, सभी पाकिस्तान में पनाह पाते हैं। दाऊद जैसे खूंखार अपराधी भी पाकिस्तान सरकार की छत्रछाया में सुरक्षित घुमते हैं। हैरानी का विषय यह है कि वैश्विक कूटनीतिकार अभी तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं कर पाये हैं। अमरीका अपने इशारों पर नहीं नाचने पर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है।

पाकिस्तान ने शत्रुता के भाव के कारण भारत को कभी भी अति अनुग्रहीत राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया, जबकि भारत ने अत्यंत उदार भाव से शुरू से ही उसे यह दर्जा दिया हुआ था। शायद विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते पाकिस्तान से आने वाले सामान को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां से आने वाले सभी सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया गया है। यानि अब पाकिस्तान से भारत शायद कुछ भी आयात नहीं करेगा। यहीं नहीं भारत अपने निर्यातों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके चलते पाकिस्तान के कपड़ा और अन्य प्रकार के उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

केवल आयात शुल्क ही नहीं, पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाये जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अमरीका ईरान समेत कई देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। अमरीका ने आर्थिक प्रतिबंधों के नाते सभी देशों पर यह शर्त लगा दी है कि जो भी ईरान से आर्थिक व्यवहार करेगा, उसके बैंक उनके भुगतानों को ब्लॉक कर देंगे और अमरीका उनके साथ अपने आर्थिक लेनदेन रोक देगा। ऐसे में सभी देश उसके दबाव में आकर ईरान से आर्थिक व्यवहार बंद कर रहे हैं। हालांकि भारत ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र के अलावा किसी आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं मानता, तो भी यह कहा जा सकता है कि अमरीकी आर्थिक प्रतिबंधों का खासा असर ईरान पर पड़ रहा है। चूंकि अमरीका ने भारत समेत कुछ देशों को हाल फिलहाल छूट दे दी है, इसलिए वह ईरान से तेल खरीद रहा है। भारत भी मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंधों की दिशा में आगे बढ़ सकता है। गौरतलब है कि कई देश पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह देने को लेकर पाकिस्तान से काफी नाराज है।

उधर एक अंतराष्ट्रीय एजेंसी 'फाईनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को मनी लाउंडरिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में संदिग्ध सूची (यानि ग्रे लिस्ट) में रखा है। संस्था का कहना है कि मनी लांउडरिंग एवं आतंकवाद के पोषण (फाईनेंसिंग) को रोकने के संदर्भ में पाकिस्तान की व्यवस्था में भारी खामियां हैं। इस प्रकार की सूची में सीरिया, ट्रिनीनाड, टोबेको, यमन आदि देश हैं। लेकिन पाकिस्तान के मामले में खास बात यह है कि ऐसे अन्य देशों के मुकाबले यह बड़ी जनसंख्या का देश है। दिलचस्प बात यह है कि इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक पाकिस्तान से दूरी रखना पसंद करते है। आने वाले समय में यदि यह 'ग्रे लिस्ट' से आगे ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो, पाकिस्तान विदेशी निवेश और आर्थिक व्यवहार में अलग–थलग पड़ सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे महसूस करवा दिया जाये ताकि वह दुनिया में शांति बनाये रखने के लिए वह आतंकवादी गतिविधियां बंद करे और अपने आंतगी सरगनाओं को भारत को सौप दें।

आवरण कथा

पाकिस्तान पर भारत का शिंकजा

भारत के गैर–जिम्मेवार और नासमझ नेता भले पाकिस्तान विरोधी कार्रवाई का उपहास उड़ा रहे हों लेकिन इसका गहरा असर पाकिस्तान एवं दुनिया पर हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तेजी से भारत द्वारा चिह्नित संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वे इस बात के प्रमाण हैं कि यह सब वायु सेना की कार्रवाई तथा कूटनीतिक दबाव में किया गया है। पंजाब प्रांत सरकार ने 7 मार्च को प्रतिबंधित संगठन जमात–उद्–दावा (जेयूडी) और फलाह–ए–इंसानियत (एफआईएफ) के मुख्यालय के साथ लाहौर एवं अन्य स्थानों पर स्थित जेयूडी की मस्जिदों, मदरसों, डिस्पेंसरियों को अपने अधिकार में ले लिया। यह सामान्य कदम नहीं है। भारत के लोगों ने इन संगठनों के संचालक और भारत के लिए आतंकवाद के दो प्रमुख दुश्मनों में से एक हाफिज सईद का ऐसा दयनीय चेहरा पहली बार देखा और थरथराती आवाज भी पहली बार सुनी। 5 मार्च को पाकिस्तान ने जमात–उद्–दावा और फलाह–ए–इंसानियत फाउंडेशन को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित सूची में डाला था, जिसके बाद इनकी संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रकिया आरंभ हुई। इसके साथ, जैश–ए–मोहम्मद के 44 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया जिनमें मसूद अजहर का भाई और बेटा शामिल हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (एनएसीटीए) की सूची को पाकिस्तान ने संशोधित किया है। इसके अनुसार अनुसार जमात और एफआईएफ आतंकवाद निरोधक कानून, 1997 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 70 संगठनों में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) बनी हुई है। किंतु इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। 4 मार्च तक एनसीटीए की वेबसाइट पर इन संगठनों को निगरानी संगठनों की सूची में ही रखा गया था। तो यह बदलाव हवाई बमबारी के बाद हुआ। जाहिर है, यह बदलाव पाकिस्तान की मजबूरी है। जाहिर है, पाकिस्तान को आगे इस तरह की और कार्रवाइयां करनी होंगी। आफरीदी का बयान है कि छापामारी के दौरान हिरासत में लिए गए जैश के 44 सदस्यों में अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुर रऊफ और बेटा हम्माद अजहर भी शामिल हैं। आफरीदी कहना नहीं भूले कि भारत ने जो डोजियर सौंपा है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। यह भारत के साथ दुनिया को संदेश देने की कोशिश है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहे। तो क्या मान लिया जाए कि वाकई पाकिस्तान अब रास्ते पर आ गया है, और भारत केंद्रित आतंकवाद के संसाधनिक, वैचारिक एवं मानवीय स्रेतों को ध्वस्त करने लगा है? यह बात सही है कि 5 मार्च को पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जिसमें देश की सभी प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रधानमंत्री इमरान खान का संसद में दिया गया बयान तथा देश को संबोधन में शांति एवं मेल–मिलाप की भाषा थी। 5 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने योजनापूर्वक जिओ टीवी को एक साक्षात्कार दिया। उसमें कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपने हितों को लेकर फैसला करना ही होगा। हमारी कुछ नियंतण्र प्रतिबद्धताएं हैं

– अवधेश कुमार

पाकिस्तान इस समय अब तक के सबसे भारी दबाव में है। भारत की हवाई बमबारी के बाद उसके सामने साफ हो गया है कि अगर हमने इनके भवनों को नियंतण्रमें नहीं लिया तो आगे भी ऐसा होगा। भारत उन सारे आतंकी संगठनों के भवनों तथा प्रमुख आतंकवादी चेहरों को निशाना बनाएगा। भारत ने साफ शब्दों कहा है कि आगे आतंकी हमला हुआ तो वह कार्रवाई करेगा। आतंकी संगठनों के अंदर तो भय पैदा हो ही गया है कि भारत उनको कहीं भी निशाना बना सकता है, पाकिस्तान भी इसी मनोदशा से गुजर रहा है। इमरान खान और

उनके अन्य मंत्री बड़बोलापन चाहे जितना दिखाएं पर उन्हें पता है कि भारत ऐसा करेगा तो उन्हें अवाम की नजर में अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ जवाबी कार्रवाई करनी ही होगी। उसमें उसे किसी का साथ नहीं मिलेगा। फिर युद्ध का परिणाम उसके लिए ज्यादा विनाशक होगा। पाकिस्तान के अंदर यह भय पैदा होना भारतीय कार्रवाई की ऐतिहासिक सफलता है। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान का पूरा मनोविज्ञान बदल गया है।

भारत ने एक परिपक्व और मजबूत देश का परिचय देते हुए संदेश दिया है कि हमारे यहां सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, और आगे भी कार्रवाई से हम पर कोई अंतर नहीं आएगा। इसके साथ भारत ने कूटनीतिक गतिविधियां तेज की हैं। वीटो पावर वाले तीन देश, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर को नियंतण्र आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पेश किया है। परिषद के 15 में से 14 सदस्य राष्ट्र मसूद अजहर को नियंतण्र आतंकी घोषित करने को तैयार हैं। वीटो शक्ति के कारण चीन तीन बार इस प्रस्ताव को गिरा चुका है। फ्रांस, ब्रिटेन एवं अमेरिका ने कहा है कि चीन वीटो करता है तो वे भी वीटो करेंगे। एक के समानांतर तीन वीटो आने पर यह पारित हो जाएगा। पाकिस्तान को इसका आभास है। भारतीय कूटनीति का त्वरित परिणाम पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को आतंक के वित्त पोषण पर रोक लगाने की चेतावनी के रूप में सामने आया। इस संस्था ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। टास्क फोर्स के अनुसार, अक्टूबर, 2019 तक यदि पाकिस्तान उसकी 27 मांगों पर काम नहीं करता है, तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा यानी काली सूची में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कई बयानों में स्वीकार किया है

पाकिस्तान की वायु सेना का एफ १६ लेकर नियंतण्ररेखा पार करना भी उसके लिए महंगा पड़ गया है। उसने एफ १६ के प्रयोग से इनकार किया जबकि भारत ने सबूत के साथ इसे साबित कर दिया। अब अमेरिका एफ १६ के उपयोग को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर

कि भारत उसे काली सूची में डलवाने के लिए काम कर रहा है, जिससे हमें बचना है। भारत अनेक देशों के प्रमुखों और दूतावासों से संवाद कर उनको या तो अपने पक्ष में लाया है, या फिर ऐसी स्थिति बनाई है कि वह किसी तरह विरोध में न जाएं। इस्लामी सम्मेलन संगठन या ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों, जो पाकिस्तान के मजहबी भाई माने जाते रहे हैं, में से भी किसी ने भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन करने की आलोचना तक नहीं की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दौरा कर चीनी नेताओं के सामने अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान की वायु सेना का एफ 16 लेकर नियंतण्ररेखा पार करना भी उसके लिए महंगा पड़ गया है। उसने एफ 16 के प्रयोग से इनकार किया जबकि भारत ने सबूत के साथ इसे साबित कर दिया। अब अमेरिका एफ 16 के उपयोग को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

5 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने योजनापूर्वक जिओ टीवी को एक साक्षात्कार दिया। उसमें कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपने हितों को लेकर फैसला करना ही होगा। हमारी कुछ नियंतण्र प्रतिबद्धताएं हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस समय अपने देश को बचाने के लिए सारी कार्रवाइयां कर रहा है। ध्यान दीजिए आफरीदी ने भी यही कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई देश के हित के लिए है। देशहित शब्द में पाकिस्तान की पूरी स्थिति एवं मनोदशा निहित है। किंतु इससे भारत को उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने कहा भी है कि 44 आतंकवादियों को हिरासत में लेना दरअसल, उनको सुरक्षा में ले आना है। आफरीदी के पूरे बयान में इनको आतंकवादी मान लेने या सजा दिलाने को कोई प्रतिबद्धता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने 6 मार्च को कहा कि भारत ने एक डोजियर भेजा है, जिसे हम देख रहे हैं। अगर इसमें कुछ ठोस मिलता है, तो ही हम कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? सबूत तो आपके यहां हैं। जैश ने पुलवामा हमले की जिम्मेवारी ली, इसके पहले पठानकोट और उरी उसने अंजाम दिया, संसद हमले में जैश एवं लश्कर शामिल थे, मुंबई हमला लश्कर की कार्रवाई थी। तो सबूत एकत्रित करना आपका काम है। कहने का तात्पर्य यह कि पाकिस्तान फिर न्यायालय में ठहरने योग्य सबूत न होने की आड़ लेगा। लेकिन इस समय बदला हुआ भारत है। पाकिस्तान क्या करता है, इससे अब भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वला। भारत का निर्णय साफ है, हम स्वयं सीमा पार करके हमले की जड़ों को मिटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक भाषण में कहा कि वो पाताल में छिपे होंगे तो वहां भी हम मारेंगे। यह भी कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे। ये बयान पाकिस्तानी मीडिया में खूब चल रहे हैं। पाकिस्तान इसको ध्यान में रखकर अपनी कार्रवाई करे, यही उसके हित में होगा। ❑❑

‘सर्जिकल स्ट्राइक–टू’ का अभिनन्दन

14 फ़रवरी 2019 को पुलवामा में हुई आतंकी घटना के बाद भारत–पाक के बीच हुई तना–तनी के दौरान विंग कमांडर अभिनन्दन वर्धमान की सकुशल भारत वापिसी के बाद रिश्तों की तल्खी थोड़ी कम हुई है। इस सारे घटनाक्रम में भारत के कुटनीतिक प्रयासों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने भी अपना काम किया है।

भारत की आंतकवाद के प्रति नई आक्रामक नीति

भारत ने इस बार एक नई आक्रामक नीति अपनाकर पाकिस्तान के खैबर पखतुनाबाद स्थित बालाकोट में जैश के आंतकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इससे इस क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर आ गया था। सर्जिकल स्ट्राइक–2 के बाद पकिस्तान जबरदस्त दबाव में था। बाद में पाकिस्तान ने अपनी जनता के रोष को कम करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों द्वारा भारत के राजौरी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चौकस भारतीय वायुसेना के विमानों ने उन्हें समय रहते वापिस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान का एक एफ–16 विमान मार गिराया गया। इस प्रयास में हमारा मिग–21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार विंग कमांडर अभिनन्दन वर्धमान का पैरासूट उसे पाकिस्तानी सीमा में ले गया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शुरू से ही बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। विंग कमांडर अभिनन्दन की रिहाई को पाकिस्तान ने अपनी ढ़ाल की तरह प्रयोग करने का प्रयास किया ताकि भारत को बातचीत की मेज तक लाया जा सके। भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया तथा पायलट को किसी प्रकार से टार्चर करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली।

दुनिया के लगभग सभी बड़े देश भारत के पक्ष में खड़े नज़र आये। विश्व जानता है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसलिए इन दोनों देशों के बीच एक

पाकिस्तान कश्मीर को भारत से अलग करने के सपने देखते–देखते कहीं खुद ही न टूट जाये इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

– दुलीचंद रमन

हद से ज्यादा तनाव इस क्षेत्र और विश्व व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पाकिस्तान पर ही ज्यादा रहा। पायलट अभिनन्दन की रिहाई में इस दबाव ने भी काम किया है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसे शांति की पहल की तरह दिखाना चाहते रहे।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और भारतीय कूटनीति

आज सारा विश्व एक दुसरे से जुड़ा है। व्यापार और निवेश को लेकर सबके हित वैश्विक शांति और व्यवस्था में ही सुरक्षित है। पाकिस्तान के सदाबहार मित्र चीन का भी अरबों डालर चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में लगा हुआ है। इस क्षेत्र में बढते संघर्ष से इस पूरे प्रोजेक्ट पर अँधेरा छा सकता है। जो चीन की अर्थवयवस्था किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकती। अमेरिका की भी अपनी मजबूरी है कि वह अपनी सेनाओं को पिछले 17 सालों से युद्धरत अफगानिस्तान से निकालना चाहता है। इस्लामिक आंतकवाद को कमजोर करना अमेरिका के भी हित में है। यहाँ भारत और अमेरिका के हित साझा है इसलिए वह भारत के पक्ष में खड़ा नज़र आ रहा है। अफगान युद्ध के दौरान वह पाकिस्तान का दोगलापन कई बार देख चुका है।

पाकिस्तान की रही–सही नाक इस्लामिक देशों के संगठन में कट गई। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस संगठन का संस्थापक सदस्य है जिसमे भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को "गेस्ट ऑफ़ ऑनर" के तौर पर आमंत्रित किया। पाकिस्तान ने इस निमंत्रण का विरोध किया था लेकिन इसे कोई तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान को ही इस सम्मलेन का बहिष्कार करना पड़ा। यह भारत की बहुत बड़ी कुटनीतिक जीत थी।

चीन भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे और ज्यादा कर्ज देने के मूड में नहीं लगता। चीन को भी यह भली-भांति पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में उसका पाकिस्तान में किया गया निवेश डूब सकता है।

"सर्जिकल स्ट्राइक टू" के सैन्य पहलू

पाकिस्तान और आंतकवाद के प्रति हमारे नज़रिये में परिवर्तन आया है। अभी तक हम आंतकवाद के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ अपनी सीमा में लड़ रहे थे लेकिन मोदी सरकार द्वारा पहली बार आंतकवाद की फैक्ट्री पर धावा बोला गया है। हमारी सैन्य रणनीति का दूसरा पहलू यह रहा कि अभी तक सिर्फ थल सेना ही आंतकवाद के खिलाफ लड़ रही था लेकिन "सर्जिकल स्ट्राइक टू" में पहली बार आंतकवाद विरोधी कार्यवाही में वायुसेना का भी प्रयोग किया गया। जिसने सीमापार आतंकी ठिकानो पर सटीक कार्यवाही की है।

अभी तक पाकिस्तान पर ठोस कार्यवाही उसके "परमाणु बम ब्लैकमेल" के कारण नहीं हो पाती थी। इसका एक कारण कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति भी थी। लेकिन पुलवामा की आंतकी घटना के बाद की तना–तनी ने पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य शक्ति की कमजोरी की पोल खोल दी। आर्थिक कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के पास सात अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा का रिज़र्व है जो कि भारत के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता। आजकल पाकिस्तान के कटोरे में अमेरिका ने भीख डालनी बंद कर दी है और मात्र अरब देशों से मिलने वाली ज़कात ही उसका सहारा है।

चीन भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे और ज्यादा कर्ज देने के मूड में नहीं लगता। चीन को भी यह भली–भांति पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में उसका पाकिस्तान में किया गया निवेश डूब सकता है।

पाकिस्तान की जनता का टूटता भ्रम

पाकिस्तान की जनता अभी तक अपनी सेना के बारे में खुशफहमी में रहती थी। पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व सेना के आगे भीगी–बिल्ली बना रहता था। लेकिन वर्तमान घटनाक्रम ने पाकिस्तानी सेना और सैन्य–शक्ति के बारे में पाकिस्तानी जनता की आँखें खोल दी है। झूठ पर झूठ बोलती पाकिस्तानी सेना को सच्चाई स्वीकार करने के लिए कई बार बयान बदलने पड़े।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भी यह समझ में आ चुका है कि उसे आंतकवाद को प्रश्रय देने वाली अपनी पुरानी नीति को बदलना होगा अन्यथा भारत अपनी वैश्विक छवि, मज़बूत आर्थिक और सैन्य संसाधनों के बल पर आंतक के इस कोढ़ को अब ज्यादा दिन सहन नहीं कर सकता।

भारत की लड़ाई आंतक से है

भारत यह बात कई बार दोहरा चुका है कि उसकी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि आंतकवाद से है। इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक टू में भी उसके निशाने पर आंतकी ठिकाने ही थे। पाकिस्तान कश्मीर को भारत से अलग करने के सपने देखते–देखते कहीं खुद ही न टूट जाये इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।❑❑

अमरीका के दबाव में न आये भारत

पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत सरकार से आर्थिक मुद्दों पर नाराज चल रहा था। लेकिन अमरीकी प्रशासन द्वारा अचानक भारत से जीएसपी (जनरल सिस्टम ऑफ प्रफेरेंस) 60 दिन के भीतर वापिस लेने की घोषणा ने चौंका दिया। गौरतलब है कि भारत और कुछ अन्य देशों को अमरीका द्वारा व्यापार में प्राथमिकता देने वाला यह प्रावधान उन देशों को विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों से अलग कम अथवा शून्य आयात शुल्क व्यापार करने की सुविधा देता रहा है। कहा जा रहा है कि इस सुविधा के वापिस लेने से भारत का 5 अरब डालर तक का व्यापार प्रभावित हो सकता है। पिछले कुछ समय से नाराज अमरीका भारत को जीएसपी सूची से बाहर करने की धमकी देता रहा है। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि इसके कारण उसके निर्यातों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत के पास यह विकल्प खुला है कि वह भी जवाब के तौर पर अमरीकी आयातों पर शुल्क बढ़ा दे। यानि कहा जा सकता है कि इससे भारत और अमरीका के संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।

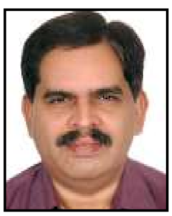

अमरीका की मांगें पूर्णतया अनुचित है और वह केवल अपनी आर्थिक और सामरिक शक्ति के अंहकार से हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन आज जब अमरीका ने जीएसपी वापिस लेने का तय कर ही लिया है तो भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जनस्वास्थ्य, रोजगार और कृषि को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

– डॉ. अश्वनी महाजन

क्यों हैं अमरीका नाराज?

अमरीका की नाराजगी के कई कारण हैं, लेकिन वे सभी अमरीकी कंपनियों के आर्थिक हितों से जुड़े हुए हैं। अमरीकी सरकार द्वारा अपनी कंपनियों की बहुत तीव्रता से वकालत की जाती है। अमरीकी नाराजगी का त्वरित कारण यह है कि भारत सरकार ने अमरीकी ई–कामर्स कंपनी एमेजॉन और हाल ही में ई–कॉमर्स क्षेत्र में प्रवेश कर रही वालमार्ट कंपनियों द्वारा दिये जा रहे डिस्काउंटों पर अंकुश लगा दिया है। गौरतलब है कि ये कंपनियां बड़ी मात्रा में पूंजी जलाते हुए भारी डिस्काउंट देकर छोटे व्यापारियों को रोजगार से बाहर कर रहीं थीं। इससे पहले अमरीकी सरकार भारत सरकार से इस कारण से भी नाराज थीं कि उसने भारत के पेटेंट कानून को अमरीकी कंपनियों के हित साधन के लिए बदलने से इंकार कर दिया। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उनकी अमरीका यात्रा के दौरान उन्हें अमरीकी प्रशासन ने इस बावत कहा था कि वह भारतीय पेटेंट कानून की धारा 3डी में परिवर्तन करते हुए अमरीकी कंपनियों को पुनः पेटेंट के अधिकार दे। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु भारत ने इस मांग को खारिज कर दिया। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण से यह साफ कह दिया कि भारत का पेटेंट कानून अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप है और उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है।

कुछ समय पहले जब भारत सरकार ने स्टेंट और घुटनों के इम्प्लांट की कीमतों पर कैप (सीमा) लगाने का फैसला लिया तो उस समय भी अमरीकी कंपनियां नाराज हो गई थीं। पिछले काफी समय से यह कंपनियां प्रयास कर रही हैं कि इस कैप को हटा दिया जाए ताकि उन्हें मनमानी कीमत वसूलने का अधिकार मिल जाए, लेकिन भारत सरकार

स्वभाविक रूप से उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। मोनसेंटो नाम की कृषि कंपनी पर उसके गलत कृत्यों के कारण सरकार कदम उठा रही है। कुछ समय पहले किसानों को राहत देने के लिए मोनसेंटो के बीटी कपास के बीज पर कीमत नियंत्रण लागू किया गया। इससे मोनसेंटो की लूट पर कुछ अंकुश लगा, वह कंपनी भी अमरीकी प्रशासन पर दबाव बनाकर भारत से रियायतों की अपेक्षा कर रही है। यही नहीं अमरीकी प्रशासन का कहना है कि भारत अमरीका से आने वाले दूध पर से यह शर्त हटा दे कि केवल शाकाहारी गायों का ही दूध आयात होगा। गौरतलब है कि अमरीका में गायों को रक्त और मांस का सेवन कराया जाता है, और ऐसे दूध का आयात भारत में प्रतिबंधित है।

यानि दिखाई दे रहा है कि अमरीकी प्रशासन अपनी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बांह मरोड़कर उनके लिए रियायतें लेने हेतु भारत सरकार पर दबाव बना रहा है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अमरीकी प्रशासन भारत की नीतियों में जिस परिवर्तन की अपेक्षा कर रहा है, वह भारतीय जनता, किसान, व्यापारियों के हित में नहीं है। इसलिए यदि भारत सरकार अमरीकी दबाव में झुक जाती है तो दुनिया और भारतीय जनता में भी अच्छे संकेत नहीं जाएंगे। इसलिए अमरीकी प्रशासन भी जानता है कि उसे इस संबंध में भारत सरकार पर दबाव बनाने से अभी कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन शायद अमरीकी प्रशासन लंबी रणनीति के तहत यह कोशिश करेगा कि चुनावों के बाद सरकार उनकी बातों को मानकर अमरीकी कंपनियों को राहत दे।

संप्रभुता बनाम कूटनीति

कुछ लोगों का यह कहना है कि पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने के उपकर्म में हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महती आवश्यकता है। भारत को इस बावत अमरीका की मदद भी मिली है। अमरीका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस आतंकवादी हमले की कड़ी भर्त्सना करवाने में भी भूमिका का निर्वाह्न किया, जिसके चलते चीन भी इसकी खिलाफत नहीं कर पाया। कुछ लोगों का मानना है कि कूटनीतिक कारणों से भारत को अमरीका को नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी देश, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, की अनुचित मांगों को स्वीकार करना किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए अच्छा कदम नहीं माना जा सकता। हम जानते हैं कि अमरीका स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानते हुए दूसरे मुल्कों पर दादागिरी लादता रहता है। यदि भारत उसकी अनुचित मांगों के सामने झुक जाता है तो उसकी दादागिरी और भी बढ़ सकती है।

अनुचित और असत्य हैं अमरीकी दावे

जब अमरीका यह कहता है कि भारत उनकी कंपनियों पर अनुचित रोक–टोक लगा रहा है या भारत के आयात शुल्क बहुत ज्यादा है जिसके कारण अमरीका के निर्यात प्रभावित हो रहे हैं, पूर्णतया असत्य और अनुचित है। जहां तक आयात शुल्कों का सवाल है डब्ल्यूटीओ समझौते, जिसका अमरीका भी सदस्य है, के अनुसार, भारत द्वारा जितना आयात शुल्क लगाया जा सकता है, भारत द्वारा उससे कही कम और सामान्यतः लगभग एक चौथाई ही आयात शुल्क लगाया जा रहा है। यानि कहा जा सकता है कि भारत अपने आयात शुल्कों को चार गुणा भी कर दे तो भी वह डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुरूप ही होगा। इसलिए अमरीका द्वारा यह दबाव बनाया जाना कि भारत अपने आयात शुल्कों को ओर कम करे, डब्ल्यूटीओ समझौते के खिलाफ है।

अमरीका द्वारा यह कहना कि उनकी कंपनियों को निर्बाध रूप से लाभ कमाने की छूट देने हेतु हम अपने पेटेंट कानून को बदल दे, सर्वथा अनुचित और डब्ल्यूटीओ समझौते का उल्लंघन है। गौरतलब है कि सभी विशेषज्ञों का यह सर्वसम्मत मत है कि भारत का पेटेंट कानून डब्ल्यूटीओ समझौतों के अनुरूप है। दुनिया भर में यह मिसाल दी जाती है कि किस प्रकार डब्ल्यूटीओ समझौतों का पालन करते हुए कोई देश अपने जनस्वास्थ्य की रक्षा पेटेंट कानूनों के माध्यम से कर सकता है।

जहां तक सवाल ई–कॉमर्स में विदेशी निवेश प्राप्त कंपनियों द्वारा डिस्काउंट प्रतिबंधित करने का है, यदि अमरीका अपनी मुटठी भर कंपनियों के हित साधन की बात करता है तो दूसरी ओर हमारे करोड़ों छोटे–व्यापारियों की रोटी–रोजी का सवाल है, जिसे सरकार अनदेखा नहीं कर सकती।

कहा जा सकता है कि अमरीका की मांगें पूर्णतया अनुचित है और वह केवल अपनी आर्थिक और सामरिक शक्ति के अंहकार से हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन आज जब अमरीका ने जीएसपी वापिस लेने का तय कर ही लिया है तो भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जनस्वास्थ्य, रोजगार और कृषि को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1999 में पोखरण विस्फोट के बाद अमरीका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने अमरीका से इस बावत बात भी नहीं की और अंतोत्गत्वा अमरीका ने अपने ही देश की कंपनियों के दबाव में वे सभी प्रतिबंध वापिस ले लिये थे। आज भारत 1999 की तुलना में और मजबूत अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत को किसी की घबराहट की जरूरत नहीं। ❑❑

बौद्धिक संपदा में भारत की छलांग

आतंकवाद को लेकर पड़ोसी पाकिस्तान से कूटनीतिक और सामरिक विजय की बल्ले–बल्ले तथा देश में लोकतंत्र के महा–त्यौहार (लोकसभा चुनाव) की घोषणा के माहौल के बीच एक और सुकून देने वाली खबर आयी है। बौद्विक संपदा के मोर्चे पर भारत ने लंबी छलांग लगाते हुए अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था की धाक कायम की है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्विक संपदा सूंचकांक में आठ सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए अब छत्तीसवें स्थान पर आ गया है। पिछले साल की सूची में भारत को 44वां स्थान मिला था।

ताजा अध्ययन से प्राप्त नतीजों में भारत ने प्राप्त अंक में सकारात्मक सुधार दर्ज किया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारत को 30.07 प्रतिशत (40 में 12.03) अंक मिल थे, जबकि इस बार देश को 36.04 प्रतिशत (40 में 16.22) अंक हासिल हुए है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सूचकांक में जो देश शामिल है वे अंतर्राष्ट्रीय जीडीपी के 90 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते है। जीआईपीसी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की स्थिति में यह सुधार भारतीय नीति निर्मातओं के जरिए घरेलू उद्यमियों और निवेशकों के लिए समान रूप से एक सतत नवोन्मेषी परिस्थितिक तंत्र विकसित करने के प्रयासों को दिखलाता है।

तुलनात्मक दृष्टि से भारत एक युवा देश है और मौजूदा दौर युवा जुनून, उसकी ई–तकनीक और सतत् आगे बढ़ने का है। प्रधानमंत्री ने खासकर युवाओं की ताकत को पहचानते हुए इस वर्ग को केंद्र में रखा है। स्टार्ट–अप, स्टेंड–अप, कौशल विकास सरीखे कई–एक कार्यक्रम चलाकर इस कार्यक्रम को गति दी है।

तुलनात्मक दृष्टि से भारत एक युवा देश है और मौजूदा दौर युवा जुनून, उसकी ई–तकनीक और सतत् आगे बढ़ने का है। प्रधानमंत्री ने खासकर युवाओं की ताकत को पहचानते हुए इस वर्ग को केंद्र में रखा है। स्टार्ट–अप, स्टेंड–अप, कौशल विकास सरीखे कई–एक कार्यक्रम चलाकर गति दी है।

– अनिल तिवारी

12 मई 2016 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकर नीति को स्वीकृति दी गयी। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रोत्साहन में काफी मदद मिल रही है। मालूम हो कि इस नीति ने भारत में रचनात्मक एवं अभिनव उर्जा के भंडार को प्रोत्साहित किया है, जिससे मानवीय बौद्धिक उर्जा का सतत् प्रवाह जारी है। इस अधिकार नीति के तहत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वह अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थानों, लघु एवं मध्यम उपक्रमों स्टार्ट–अप एवं अन्य हितधारकों को शक्ति संपन्न बनाएगी, ताकि वे अभिनव व रचनात्मक बौद्धिक माहौल का

निर्माण कर सकें। इस अधिकर नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा संबंधी सभी कानूनों को मानता है और यहां बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक एवं न्यायिक ढ़ांचा मौजूद है।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के तहत सतत् लक्ष्य निर्धारित किये गये है। एक– समान के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना। दो– बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना। तीन– मजबूत और प्रभावकारी नियमों को अपनाना, ताकि वृहद लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके। चार– सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना। पांच– व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण करना। छः– बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का डटकर मुकाबला करने के लिए तंत्र को मजबूती देना। सात– मानव संसाधनों तथा संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण अनुसंधान क्षमताओं को विकसित कर कौशल निर्माण करना। निःसंदेह इन सात उद्देश्यों से भारत में बौद्धिक संपदा को गति मिली है और संरक्षण से नए–नए नतीजें भी सामने आ रहे है।

भारत बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। 109 की सूची में हालांकि शीर्ष पर अमरीका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी कायम है, पर भारत ने अच्छी बढ़त हासिल की है। पडोसी पाकिस्तान सूची में 47वें स्थान पर है। जबकि बेनेजुएला अंतिम पर। गौरतलब है कि इन देशों के अंक इस बार भी वहीं है जो गत वर्ष थे, पर भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक अंक अर्जित कर अपनी स्थिति मजबूत की है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (जीआईपीसी) द्वारा तैयार की जाने वाली सूची में देशों की रैंकिंग 45 मानकों पर तैयार की जाती है।

बौद्धिक संपदा क्या है?

प्रसिद्ध विद्वान तेरिमि फिलिप्स के अनुसार, ''बौद्धिक संपदा से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि से उत्पन्न होती है। यानि कह सकते है कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र डिजाइन, ट्रेडमार्क पेटेंट आदि बौद्धिक संपदा है। जिस प्रकार कोई किसी भौतिक धन का स्वामी होता है, उसी पर कोई बौद्धिक संपदा का स्वामी हो सकता है। बौद्धिक संपदा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का आधार है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विद्यमान है तथा उद्यमों की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जा रही है।

गत वर्ष केंद्र की सरकार ने बौद्धिक संपदा नियमों में कुछ संशोधन किये है। वित्त मंत्रालय ने पेटेंट उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर आयातित उत्पादों को जब्त करने की सीमा शुल्क प्राधिकरणों में निहित शक्ति को समाप्त करने के लिए कानूनी व्यवस्था की है। बौद्विक संपदा अधिकार प्रर्वतन संशोधन अधिनियम 2018, पेटेंट अधिनियम 1970 के सभी संदर्भों को हटा देता है।

हालिया संशोधन में आगे की स्थितियों को शामिल किया गया है, जो अधिकारधारक को किसी भी संशोधन, निलंबन या प्रतिक्रिया के बारे में सीमा शुल्क आयुक्त को सूचित करने के लिए बाध्य करता है। चूंकि बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क की उपज है, लिहाजा भारत ही नहीं दुनिया के सभी देश सदियों से अपने–अपने कानून बनाकर सुरक्षित करते चले आ रहे है। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ और बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में ''ट्रिप्स'' इस संगठन का एक समझौता है। वे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है, उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून भी इसी के मुताबिक बनाने है।

अगले महीने यानि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के ठीक पहले आयी रिपोर्ट में भारत के बढ़ते कदम से सुखद एहसास हुआ है। जनसामान्य में इसके प्रति ललक बढ़ी है। इसे और अधिक संरक्षण के साथ–साथ प्रोत्साहित किये जाने की जरूरत है।❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

आगे बढ़ता भारत

हम पढ़ते–पढ़ाते है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आजादी के बाद अपनायी जाने वाली लोकतांत्रिक प्रणाली ने लगातार मजबूती और परिपक्वता हासिल की है, जिसके कारण दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती रही है। हमारे पड़ौसी देश हो या दूसरे महाद्वीपों के देश, कहीं न कहीं उनकी लोकतांत्रिक प्रणाली में कुछ दोष जरूर दिखे, लेकिन समय पर चुनावों से लेकर, चुनावों में शांति–व्यवस्था तक, भारतीय लोकतंत्र ने सफलता के नये सोपान छुए हैं।

इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के लोकतंत्र में खामियां ढूंढती रहती है और भारतीय लोकतंत्र को कमतर आंकती है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता का सही पैमाना, लोगों का उस पर विश्वास होता है। इस नाते भारतीय जनमानस का अपने लोकतंत्र पर पूर्ण विश्वास लगातार बना हुआ है। हम नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों में कोई दोष न रहें हों, लेकिन इस दोषों के मद्देनजर ही जनता द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से सरकारों को बदलकर बदलाव लाने का काम भी किया है। पिछले तीन दशकों की अल्पमत की सरकार की परंपरा को तोड़ते हुए जनता ने यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार का जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार को चुनकर दिया। उन्हें मौका दिया कि वे गठबंधन की मजबूरियों से मुक्त होकर सरकार का संचालन कर सके। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार से पहले यूपीए सरकार की दो पारियां रही। पहली पारी में कृषि संकट का तो हल नहीं हो पाया, लेकिन ग्रामीणों को संतुष्ट करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं को शुरू किया गया और अंत में कृषि ऋण माफी की लोकलुभावन नीति से सत्ता दुबारा हासिल कर ली। लेकिन जनता ने यूपीए सरकार की

नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद एक ओर तो भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, साथ ही देश के समक्ष बड़ी आर्थिक समस्याओं से निपटने की तैयारी भी दिखाई दी।
– स्वदेशी संवाद

दूसरी पारी में भ्रष्टाचार से ग्रस्त सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़े दल से अपदस्थ करते हुए लोकसभा में 44 सीटों पर ला दिया और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पायी। मेरा मानना है कि अपने अंतिम समय में यूपीए सरकार के घटक दलों (खासतौर पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी) ने सभी मर्यादाओं को लांघते हुए, घोषित रूप से खुदरा क्षेत्र में एफडीआई यानि वालमार्ट के आगमन का विरोध करते हुए, उसी के समर्थन में विधेयक पास करने में अपना पूरा योगदान दिया, तो जनता ने उनके आचरण को गंभीरता से लिया। इस सबका परिणाम यह हुआ कि सभी दलों का लगभग सफाया करते हुए जनता ने नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता सौंप दी।

नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद एक ओर तो भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, साथ ही देश के समक्ष बड़ी आर्थिक समस्याओं से निपटने की तैयारी भी दिखाई दी। बढ़ती मंहगाई पर काबू पाने के लिए एक तरफ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का संकल्प दिखाई दिया और दूसरी तरफ खाद्य मुद्रा स्फीति पर काबू पाने के लिए दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने का विशेष प्रयास हुआ। आज देश दालों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का मतलब है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण और साथ ही साथ कर राजस्व में वृद्धि। गौरतलब है कि जो राजकोषीय घाटा यूपीए के दौरान जीडीपी के 6.5 प्रतिशत से ज्यादा हो गया था, उसे नियंत्रित करते हुए अपने अंतिम बजट तक जीडीपी के 3.4 प्रतिशत तक लाया गया। इसके लिए सरकारी खर्च में रिसाव यानि लीकेज को भी रोका गया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा जनधन योजना, आधार और मोबाईल त्रय के इस्तेमाल से लाभार्थी के खाते में सीधे सहाय्य भेजने, जिसे डीबीटी यानि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' कहा गया, उससे लगभग 85 हजार करोड़ रूपये सालाना का रिसाव कम हो गया। इसके साथ ही साथ लगभग सभी लोगों के बैंक खाते खुलने लगे और पिछले कुछ वर्षों में 34 करोड़ से ज्यादा नये शून्य जमा की अनिवार्यता के जनधन खाते खुल गये और बचत को संकलित करने का एक नया रास्ता बना।

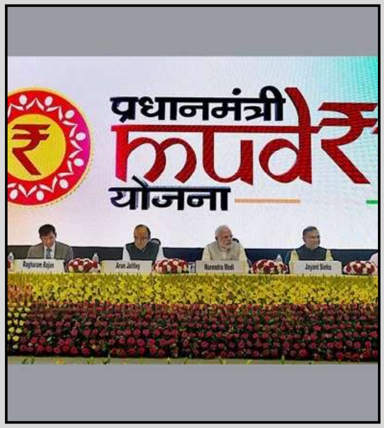

'मेक इन इंडिया' के साथ-साथ एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही-मुद्रा ऋण योजना। इस योजना के माध्यम से लघु उद्यमों को बिना सिक्योरिटी के ऋण मिलने लगा और ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों लोगों के रोजगार के नये अवसर इसके साथ बने।

मेरा मानना है कि सरकार स्वयं बहुत कम रोजगार दे सकती है लेकिन ऐसा वातावरण जरूर बना सकती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार देने वाले बनें। 'मेक इन इंडिया' के साथ–साथ एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही–मुद्रा ऋण योजना। इस योजना के माध्यम से लघु उद्यमों को बिना सिक्योरिटी के ऋण मिलने लगा और ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों लोगों के रोजगार के नये अवसर इसके साथ बने। यही नहीं सरकार द्वारा कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन से युवकों में नये कौशल का प्रशिक्षण भी बड़ी मात्रा में हुआ। 'स्टार्ट–अप' योजना के माध्यम से नये इरादों और विचारों को नये पंख मिलने लगे और पहली बार नये उद्यमों के लिए कर की छूट का प्रावधान होने के साथ–साथ अन्य प्रकार से सरकारी मदद मिलना संभव हो पाया।

इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जो रूक सा गया था, अब दुबारा शुरू हुआ। ग्रामीण सड़कें भी बनी और गरीबों के लिए घर भी। स्वच्छता अभियान के तहत नये टोयलेट भी बने और स्वच्छता एक अभियान बन गया। उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत गरीब महिलाओं को नये गैस कनेक्शन मिले और बड़ी बात यह रही कि आजादी के बाद जितने गैस कनेक्शन दिये गये थे लगभग उतने की गैस कनेक्शन पिछले 5 वर्षों से भी कम समय में दे दिये गये। पहली बार 2 हेक्टेयर तक के किसानों को सीधे 6 हजार रूपये वार्षिक की मदद का रास्ता खुला और किसानों को उनकी उपज की लागत का 150 प्रतिशत देने का प्रावधान हुआ।

मेरा मानना है कि सरकार द्वारा बिना इस बात की परवाह किये हुए कि उनके निर्णयों का राजनीतिक असर क्या होगा, एक बड़ा कर सुधार जीएसटी और उससे भी बड़ा एक फैसला विमुद्रीकरण के संदर्भ में लिया गया। कह सकते है कि तमाम राजनीतिक विरोधाभासों के बावजूद देश आगे बढ़ता जा रहा है और विकास की बात हो या जनकल्याण की, हमारा लोकतंत्र हमेशा इसके लिए एक प्रकार से प्रोत्साहन का काम करता रहा। ❑❑

सरकारी बैंकों में बढ़ता एनपीए एवं घोटाले

सरकारी बैंकों में एनपीए (नॉन प्रफॉर्मिंग एसिट–गैर निष्पादित परिसंपत्ति) लगातार बढ़ता जा रहा है जो चिंता का विषय है। बैंकों का एनपीए कुल ऋणों का 10 प्रतिशत से भी अधिक है। मार्च 2018 तक यह बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गया। सरकारी बैंकों के 1463 ऐसे खातों की पहचान की गई, जिनमें रू. 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा का एनपीए है। इन 1463 खतों में बैंकों का रू. 146300 करोड़ से अधिक की राशि फंसी हुई है। सबसे ज्यादा एनपीए खाते भारतीय स्टेट बैंक के हैं। एसबीआई के 265 खातों में रू. 77538 करोड़ का एनपीए है। इसके बाद पीएनबी के 143 खातों में रू. 45793 करोड़ बैड लोन के रूप में हैं। सरकारी बैंकों ने पिछले 5 वर्षों में रू. 230287 करोड़ के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया, यानि बैंकों ने अब इस राशि को वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सी.एन. जयदेवन और के.मरगथम के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री ने यह जानकारी दी थी, कि वर्ष 2017–18 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रू. 53625 करोड़ की राशि बट्टे खाते में डाली गई।

एनपीए की राशि में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कारपोरेट क्षेत्र की है। इसमें धातु, बिजली इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्र प्रमुख है। सकल एनपीए में बेसिक धातु उत्पादों के क्षेत्र का हिस्सा 44.5 प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र का 26.7 प्रतिशत, ढांचागत क्षेत्र का 19.6 प्रतिशत, इंजीनियरिंग क्षेत्र का 31 प्रतिशत एनपीए हो गया। 20 बड़े सरकारी बैंकों में 18 बैंक एनपीए की मार झेल रहे हैं। कुछ बैंकों के एनपीए की स्थिति को निम्न तालिका में देखा जा सकता है :–

बैंक	*एनपीए राशि (करोड़)*	*बैंक*	*एनपीए राशि (करोड़)*
एसबीआई	201560	पीएनबी	57630
बैंक ऑफ इण्डिया	49307	केनरा बैंक	39164
बैंक ऑफ बड़ौदा	46307	यूनियन बैंक	38268
आईसीआईसीआई	33849		

सरकारी बैंकों ने पिछले 5 वर्षों में रू. 230287 करोड़ के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया, यानि बैंकों ने अब इस राशि को वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी।

– डॉ. विजय वशिष्ठ

नकारात्मक रिटर्न देने वाले सरकारी बैंक

8 बड़े पीएसयू बैकों ने गत वर्ष निवेशकों को नकारात्मक रिटर्न दिया है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है–

बैंक	रिटर्न (प्रतिशत में)
बैक ऑफ महाराष्ट्र	22.67
देना बैंक	22.34
यूनाईटेड बैंक	9.74
आईडीबीआई	9.24
सेंट्रल बैंक	8.37
यूको बैंक	7.61
आईओबी	7.44
कारपोरेशन बैंक	0.74

स्रोत– बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

बैंकों में न केवल एनपीए बढ़ रहा है, बल्कि धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। बैंकों से ऋण लेकर बड़े बड़े उद्योगपति जानबूझकर दिवालिया हो जाते हैं तथा बैंक ऋण नहीं चुकते। ऋण नहीं चुकाना पड़े, उस कारण देश छोड़कर भी भाग जाते है। विजय माल्या, नीरव मोदी ऐसे उदाहरण हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी (Frauds) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गत वर्षों की स्थिति को निम्न तालिका में देखा जा सकता हैः–

वर्ष	संख्या	राशि (करोड़ रू.)
2004–05	3737	4296.8
2010–11	19827	3832.1
2015–16	4639	19455
2016–17	5076	23933
2017–18 (मार्च 18 तक)	5152	8453

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तथा बैंको के ऋण वसूल नहीं हो पा रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिनमें से प्रमुख कदम इस प्रकार हैं–

1. पुनर्पूंजीकरण योजना – इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 2.11 लाख करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। बैंकों को यह राशि दो वर्षों में दी जायेगी। इस में 1.35 लाख करोड़ का रीकैपिकटलाइजेशन बाण्ड लाया जायेगा।

2. बैंकिग रिफॉर्म्स के लिए रीकैप बाण्ड का रोडमैप– केंद्र सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए दिनांक 24 जन. 2018 को रोड मैप जारी कर दिया 20 सरकारी बैकों में 88.1 हजार करोड़ रू. से ज्यादा पूंजी डालने की घोषणा की है। इस राशि का आवंटन निम्न प्रकार किया गया –

बैंक	राशि (करोड़ रू.)
एसबीआई	8800
पीएनबी	5473
बैंक ऑफ बड़ौदा	5375
आईडीबीआई बैंक	10610
केनरा बैंक	4865
युनियन बैंक	4524
बैंक ऑफ इंडिया	9232
यूको बैंक	6607
सेंट्रल बैंक	5158

250 करोड़ रू. से अधिक के लोन की निगरानी रखी जायेगी। सरकार का उद्देश्य बैंकों की समस्या को खत्म करना है। वित्त सचिव न कहा कि सरकारी बैंकों में रखा आम आदमी का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है।

2018–19 में बैंकों को 1.06 लाख करोड़ रू. देने का लक्ष्य

रिजर्व बैंक ने तत्काल सुधार श्रेणी (पी.सी.ए.) में रखे 12 सरकारी बैंकों को वर्ष 2018–19 में 1.06 लाख करोड़ रू. उपलब्ध करायेगी। मोटे अनुमान के तौर पर पूंजी मिलने से इन बैंकों की कर्ज देने की क्षमता 4–5 लाख करोड़ रू. तक बढ़ जावेगी। इससे छोटे कारोबारियों को कर्ज मिलेगा तथा इकोनोमी में ग्रोथ बढ़ेगी, वित्त सचिव ने बताया कि 48239 करोड़ रू. के बाद इस वर्ष सरकारी बैंकों को 100958 करोड़ रू. मिलेंगे। 48239 करोाड़ रू. का वितरण निम्न प्रकार किया गया–

बैंक	रकम
कारपोरेशन बैंक	9086
आंध्रा बैंक	3256
इलाहाबाद बैंक	6896
युनाईटेड बैंक	2389
पीएनबी	5908
सेन्ट्रल बैंक	2560
बैंक ऑफ बड़ौदा	4638
सिंडिकेट बैंक	1603
यूनियन बैंक	4112
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	205
ओवरसीज बैंक	3806
यूको बैंक	3330
कुल	**48239**

3. बैंकों का विलय – वित्तमंत्री ने देश में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े बैंकों की जरूरत बतायी। इसके लिए वर्ष 2017 में एसबीआई में सहयोग बैंकों एवं महिला बैंक का विलय किया गया। इसके बाद सरकार ने पीएनबी में केनरा बैंक एवं यूनियन बैंक के विलय को मंजूरी दी। पिछले महीने ही बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक के विलय को मंजूरी दी गयी। इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। अप्रैल 2019 से इन तीन बैंकों का विलय प्रभावी हो जायेगा।

4. आरबीआई द्वारा कार्यवाही – बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए आरबीआई ने इन्सोलवेन्सी एण्ड बैंकरप्सी कोड के तहत कार्यवाही शुरू की है। बैंकों में लोकपाल योजना लाई जा रही है।

5. त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA)– यह एक पर्यवेक्षी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आरबीआई घाटे में चल रहे बैंकों को कुछ निश्चित कार्यों के निष्पादन पर प्रतिबंध लगाती है। आरबीआई ने कमजोर एवं घाटे में चल रहे बैंको की निगरानी, नियंत्रण एवं सुधार के लिए कुछ ट्रिगर पाइंट निर्धारित किये हैं जिनमें से मुख्य हैंः– (1) निवल एनपीए 10 प्रतिशत से अधिक, (2) लगातार 4 वर्षों से नकारात्मक रिटर्न, (3) जोखिम भारित परिस्थितियों को 9 प्रतिशत बनाये रखने,

पी.सी.ए. का प्रभाव – (1) भर्ती की अनुमति नहीं, (2) शाखा विस्तार पर

प्रतिबंध, (3) इंटर बैंक बाजार उधार पर प्रतिबंध, (4) महंगी जमाओं को स्वीकार करने तथा (5) नया व्यवसाय करने पर प्रतिबंध। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों में से 11 बैंक पीसीए के अंतर्गत आते हैं।

6. सशक्त परियोजना– देश में सरकारी बैंकों के एनपीए (NPA) की समस्या को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सशक्त नामक एक समग्र नीति की घोषणा की गई है, जिसकी सिफारिश मेहता समिति द्वारा की गई है– *परियोजना के प्रमुख बिन्दु*

(1) 50 करोड़ तक की राशि के लोन को एसएमई रिजोल्यूशन अप्रोच के तहत शामिल किया जायेगा और 90 दिन के भीतर इसका निपटारा किया जायेगा।

(2) 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के एनपीए खाते में फंसे कर्ज के निपटान का फैसला अग्रणी बैंक की अगुवाई में लिया जायेगा।

(3) बैंक, विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर प्रस्ताव तैयार करेगा और वह इसे 180 दिनों के भीतर नहीं निपटाया जाता है तो इसका समाधान दिवालिया कानून के तहत किया जायेगा।

(4) इस परियोजना को लागू करने के लिए बैंकों की एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जायेगा।

(5) 500 करोड़ से अधिक फंसे ऋण के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की स्थापना की जायेगी।

7. बेनामी सम्पत्ति लेन–देन निषेध अधिनियम– भारत सरकार ने पीबीपीटी अधिनियम 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। उपर्युक्त स्वीकृति मिल जाने से निर्णायक प्राधिकरण को सौंपे गये मामलों का कारगर एवं बेहतर निपटान संभव होगा।

8. भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018– 25 जुलाई 2018 को भारतीय संसद द्वारा भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पारित कर दिया गया। यह विधेयक आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वाले लोगों की संपत्तियों को जब्त करने के प्रमुख उद्देश्य से लाया गया है। 100 करोड़ से अधिक के आर्थिक अपराधों को ही विधेयक की परिसीमा में लाया गया है।

विशेषतायें:– (1) किसी व्यक्ति के भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना, (2) आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित भगोड़े की संपत्ति जब्त करना, (3) भगौड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना, (4) ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्तियों को जब्त करना, (5) भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना, (6) अधिनियम के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटाने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जायेगी। (7) यह विधेयक यूनाईटेड नेशन्स कन्वेंशन (भारत द्वारा 2011 में मान्य) से अनुसमर्थित है।

बैंकों में आंतरिक लोकपाल– भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के लिये शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोकपाल योजना 2018 को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय किया है। लोकपाल योजना 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी आरबीआई के नियामक निरीक्षण के अलावा बैंक से आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र द्वारा भी की जायेगी।

लोक ऋण रजिस्ट्री योजना – किसी व्यक्ति या इकाई के वित्तीय दायित्व के विषय में रियल टाइम सूचना देने के लिए आरबीआई ने एक रजिस्ट्री तैयार करने का निर्णय लिया है। जिसमें संबंधित व्यक्ति अथवा इकाई के दायित्वों का वर्णन उपलब्ध होगा। लोक ऋण रजिस्ट्री से ऋण देने वाली संस्थाओं को यह फायदा होगा कि वे दिये गये ऋणों का वसूली की स्थिति का तत्समय निरीक्षण कर कसेंगे और आवश्यकतानुसार उसे पुनसंरचित कर सकेंगे।

अनियमित जमाओं पर प्रतिबंध – भारत सरकार ने लाटरी, चिट फण्ड या अनियमित जमाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए एक नया अध्यादेश–द बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम आर्डिनेन्स 2019 जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य भोले–भाले लोगों की छोटी जमाओं को हड़प करने वालों पर नकेल कसना है। इससे चिट फण्ड कंपनियों पर नियंत्रण होगा।

उपरोक्त सब प्रयत्नों का परिणाम है कि बैंक ऋणों की वसूली बढ़ रही है। भगोड़ों की सम्पत्तियां जब्त की जा रही हैं। आर्थिक अपराध कर विदेशों में भाग गये वापस भारत आ रहे हैं। बेनामी लेन–देन निषेध अधिनियम 2018 के पारित हो जाने के बाद अपराधियों की परिसम्पत्तियां जब्त की जा रही हैं। रियल–स्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम 2018 (रेरा) के लागू होने के बाद बेनामी सम्पत्तियां घट रही हैं। आर्थिक अपराधी डरे हुए हैं। बैंकों के एनपीए घटाने के लिए सरकार प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार होगा। आवश्यकता है निजी बैंकों पर नियंत्रण लगाने की। यदि निजी बैंक एवं विदेशी बैंक हमारे देश में ऐसे ही बढ़ते रहे तो सार्वजनिक बैंकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नोटबंदी के समय हमने देखा है कि निजी एवं सहकारी बैंकों ने उस योजना को असफल बनाने में कितना कार्य किया है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विश्व की बड़ी बैंकिंग व्यवस्था है। इसको सफल बनाना है, नहीं तो आम भारतीय का इस व्यवस्था से विश्वास उठ जायेगा। ❑❑

कर्ज माफी से आर्थिक मदद की ओर

जब रूपसिंह और उनके छोटे भाई बसंत सिंह अपने पिता की अंत्येष्टि करके लौटे, तो उन्हें यह पता नहीं था कि नियति ने उनके लिए भी यही रास्ता तय कर रखा है। उनके पिता अवतार सिंह ने कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण खुदकुशी कर ली थी। और पिता के अंतिम संस्कार के एक दशक बाद इन दोनों भाइयों ने भी वही घातक कदम उठाया। खेती की बढ़ती ऋणग्रस्तता ने परिवार की दो पीढ़ियों को लील लिया। दोनों भाई 2.5 एकड़ जमीन के मालिक थे और 30 एकड़ अन्य जमीन पर वे अनुबंध खेती करते थे। यह अकेला मामला नहीं है, लेकिन बताता है कि किस तरह से खेती को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, जिसने दशकों से बहुतेरे किसानों की जान ली है। पंजाब के खेतों में मौत का तांडव लगातार जारी है। किसान संघों का कहना है कि कांग्रेस सरकार द्वारा कर्जमाफी की घोषणा के बावजूद एक वर्ष में 430 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसलिए हाल ही में जारी एक रिपोर्ट हैरान नहीं करती कि कृषि आय 15 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने भी भविष्यवाणी की, कि वर्ष 2018–19 में कृषि आय नकारात्मक होगी। यह एक तरह से नीति आयोग के निष्कर्षों का विस्तार है, जिसने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के बीच पांच वर्षों की अवधि के वास्तविक कृषि आय पर अध्ययन कर बताया था कि प्रतिवर्ष कृषि आय आधी फीसदी (0.44 फीसदी) रही।

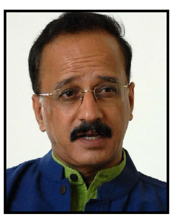

कृषि की जान–बूझकर उपेक्षा ने खेती को अलाभकर और पर्यावरणीय रूप से अस्थिर बना दिया है। जिस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वह यह कि भूख, गरीबी, युवाओं की बेरोजगारी, जबरन विस्थापन और जलवायु परिवर्तन, जिनसे भारत जूझ रहा है, उसका दीर्घकालीन समाधान ग्रामीण क्षेत्रें में निवेश ही है।
– **देविन्दर शर्मा**

इस तरह के निराशाजनक परिदृश्य को देखकर मुझे हैरानी होती है कि किस तरह से कृषक समुदाय साल–दर–साल जीवित रहते हैं। किसानों की आत्महत्या अतिरिक्त नुकसान तो है ही, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए, जो हार नहीं मानते और सारी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हैं? खासकर तब, जब आम तौर पर माना जाता है कि लगभग

स्वदेशी अपनाओ - देश समृद्ध बनाओ

वस्तु	स्वदेशी उत्पादन-प्रयोग करें
नहाने का साबुन	गोदरेज, संतूर, निरमा, स्वस्तिक, मैसूर सँडल, विप्रो–शिकाकाई, फ्रेश, अफगाण, कुटीर, होमाकोल, प्रिमियम, मीरा, मेडिमिक्स, पितांबरी, विमल, चंद्रिका, गंगा, सिंथाल, वनश्री, सर्वोदय, नीमा, अनुरा, तथा लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
कपड़े धोने का साबुन	स्वस्तिक, ससा, प्लस, निरमा, ॲक्टो, विमल, हीपोलीन, डेट, पितांबरी, बी.बी., फेना, उजाला, ईज़ी, घड़ी, जेंटिल, मंजुला, अनुरा, अन्य स्थानिक उत्पादन, अन्य लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	टिप्स एण्ड टोज, श्रृंगार, सिंथॉल, संतूर, इमामी, अफगाण, बोरोप्लस, तुलसी, वीको टर्मरिक, अर्निका, हेयर एण्ड केयर, हिमानी, पॅराशूट, डॅन्ड्रफ सोल्युशन, हिमताज, सिल्केशा, नाईल, फेम, बलसारा, जेके, डाबर झंडू, सांडू, बेद्यनाथ, हिमालय, भास्कर, तन्वी, बोरोलीन, केराफेड, बजाज सेवाश्रम, प्रकाश, कोकोराज, प्रिमियम, मूव, क्रैक क्रीम, आयुर, पार्क एवेन्यू, कासवछाप नेचर इसेस और लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	बबूल, प्रॉमिस, विको, ओरा, अमर, अँकर, डाबर, बंदर छाप, टु जेल, चॉईस, मिसवाक, अजय, हर्बोडेंट, अजंता, गरवारे ब्रश, क्लासिक, ईगल, दंतपोला, बंदर छाप, वैद्यनाथ, युवराज, इमामी तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	गॉदरेज, अफगाण, इमामी, सुपर, स्वदेशी, सुपरमैक्स, अशोक, वी–जॉन, टोपाज, पनाना, प्रीमियम, पार्क एवेन्यू, लेझर, विद्युत, जे.के. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	साठे, बेकमेन, मोनॅको, क्रेकजैक, गिट्स, शालीमार, पैरी, रावलगांव, निलगिरी, क्लासिक, अमूल, न्यूट्रामूल, मॉन्जीनीज, आरे, कॅमको, सम्राट, रॉयल, विजया, इंडाना, सफल, एशियन, विब्स ब्रेड, वेरका, सागर, सपन, प्रिया गोल्ड, न्यूट्रीन, शांग्रिला, चॅम्पियन, ॲम्प्रो, पार्ले, तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
चाय कॉफी	गिरनार, हसमुख, टाटा टी, आसाम टी, सोसायटी, सपट (इस्टंट), डंकन, ब्रह्मपुत्र, एम.आर., शन, टिपस, इंडीया, अशोक, तेज, टाटा कॅफे, कन्सोलिडेटेट कॅफे, टाटा–टेटली और अन्य स्थानीय उत्पादन
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	एनर्जी, सोसयो, कॅम्पाकोला, गुरूजी, ओन्जुस, जाम्पिन, नीरो, पिंगो, फ्रूटी, आस्वाद, डाबर, माला, रॉजर्स, रसना, हमदर्द, मैप्रो, रेनबो, कॅल्वर्ट, सीटेम्ब्लिका, रूह–आफजा, जय गजानन, हल्दीराम, गोकुल, बीकानेर, वेकफील्ड, नोगा, प्रिया, अशोक, मदर्स रेसेपी, उमा, एच.पी.एम.सी उत्पाद, हिम तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
पीने का पानी	बिसलेरी, बैली, नॅचरल, अन्य स्थानीय उत्पादन
आईस्क्रीम	दिनशॉ, जॉय, वाडीलाल, श्रीराम, पेस्तनजी, नेचर वर्ल्ड, गोकूल, अमूल, हिमालय, निरूला, पेरीना, मदर डेयरी, आरे, विंडी, हॅव मोर, वेरका तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	सनफ्लावर, मारूति, पोस्टमैन, धारा, रॉकेट, गिन्नी, स्वीकार, कॉरनेला, सनड्राप, रथ, मोहन, उमंग, विजया, सपन, पॅराशूट, अशोक, सफोला, कोहिनूर, मधुर, इंजन, गगन, अमृत, वनस्पति, रामदेव, एमडीएच, एवरेस्ट, बेडेकर, कुबल, डाबर, सहकार, लिज्जत, गणेश, शक्तिभोग आटा, टाटा नमक, एम.टी.आर. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
विद्युत उपकरण गृहोपयोगी वस्तु	विडियोकॉन, बी.पी.एल, ओनिडा, सलोरा, ईटीएण्डटी, टी–सीरीज, नेल्को, वेस्टर्न, अपट्रॉन, केल्ट्रान, कॉस्मिक, टीवीएस, गोदरेज, क्राउन, बजाज, उषा, पोलर, एँकर, सूर्या, ओरिएन्ट, सिन्नी, टूल्लू, क्रॉम्पटन, रवी, जय शंकर, कैलाश, श्रीराम, लायड्स, ब्लू स्टार, व्होल्टास, कूल होम, खेतान, एव्हरेडी, जीप, नोविनो, ॲम्प्रो, निर्लेप, इलाईट, अंजली, जयको, सुमीत, बंगाल, मैसूर, हॉकिन्स, प्रेस्टीज, महाराजा, जयपान, प्रेशर कुकर तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
घड़ियां	टाइटन, अजन्ता, एचएमटी, मैक्सिमा, आल्विन,
लेखन सामग्री	ज़ीफ्लो, विल्सन, कैम्लिन, रेव्हलॉन, रोटोमॅक, सेलो, स्टिक, चंद्रा, मोंटेक्स, कैमल, बिट्टू, स्टिक, प्लेटो, कोलो, त्रिवेणी, फ्लोरा, अप्सरा, नटराज, हिंदुस्तान, ओमेगा, लोटस, कैमे, लिंक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
जूते, चप्पल पॉलिश	लखानी, लिबर्टी स्टैन्डर्ड, एक्शन, पैरागॉन, फ्लॅश, करोना, वेलकम, रेक्सोना, रिलैक्सो, लोटस, रेड–टेप, फिनिक्स, वायकिंग, बिल्ली, कार्नोबा, किवी शू पॉलिश, फ्लेक्स, बुडलॅनड तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
तैयार कपड़े	पीटर इंग्लैंड, व्हॅन हुसेन, ॲलेन सॉलीए, लुई फिलिप, कलरप्लस, मफतलाल, ट्रेंड, केम्ब्रिज, डबल बुल, झोडिएक, अरविंद डेनिम, डॉन, प्रोलीन, टीटी, लक्स, अमूल, वीआईपी, रूपा, रेमण्ड, पार्क एवेन्यू, अल्टिमो, न्यूपोर्ट, किलर, फ्लाईंग मशीन, डयूक्स, कोलकाता, लुधियाना तथा तिरुपुर के सभी हौजरी सहित अन्य स्थानीय उत्पादन

विदेशी वस्तु त्यागकर - बोलो वन्देमातरम्

वस्तु	विदेशी उत्पादन का बहिष्कार करे।
नहाने का साबुन	लक्स, लिरिल, लाईफबॉय, पियर्स, रेक्सोना, हमाम, जय, मोती, कैमे, डॅव, पॉड्स, पामऑलिव, जॉन्सन, क्लिएरसिल, डेटॉल, लेसान्सी, जस्मीन, गोर्स्डमिस्ट, लक्मे, ॲमवे, क्वांटम, मार्गो, फा, नीम
कपड़े धोने का साबुन	सनलाईट, व्हील, एरियल, चेक, डबल, ट्रीलो, ५०१, ओके, की, रिबेल, ॲमवे, क्वांटम, सर्फ एक्सेल, रिन, विमबार, बिझ, रॉबिन ब्लू, और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अन्य उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	जॉन्सन, पॉण्ड्स, ओल्ड स्पाईस, क्लियरसिल, ब्रिलक्रीम, फेयर एण्ड लवली, वेल्वेट, मेडीकेयर, लेवेंडर, नायसिल, शॉवर टू शॉवर, क्यूटीकुरा, लिरिल, लॅक्मे, डेनिम, ऑरगॉनिक्स, पेन्टीन, रूट्स, हेड एण्ड शोल्डर, ॲमवे, क्वांटम, क्लीनिक, निहार, कोको केयर, ग्लैक्सो, नवराट्नि, मॉरटिम आदि
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	कॉलगेट, सिबाका, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिग्नल, मॅक्लीन्स, प्रुडंट, ऐमवे, क्वांटम, अक्वा फ्रेश, नीम, ओरल–बी, फोरहॅन्स
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	पामऑलिव, ओल्ड स्पाईस, निविया, पॉन्डस्, प्लैटिनम, जिलेट, सेवेन–ओ–क्लाक, विलमैन, विल्टेज, इरॅस्मिक, स्विस, लॅक्मे, डेनिम
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	ब्रिटानिया–गुड डे व ब्रेड, टाईगर, मैरी, नेसले, कॅडबरी, बोर्नव्हिटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, मिल्कमेड, किसान, मैगी, फैरेक्स, अनिकस्प्रे, कॉम्प्लान, किटकैट, चार्ज, एक्लेअर, मीलो, मॉडर्न ब्रेड, माल्टोवा, व्हिवा, माइलो, मिल्कफूड
चाय कॉफी	ब्रुक बॉंड, ताजमहल, रेड–लेबल, डायमंड, लिप्टन, ग्रीन लेबल, टाईगर, नेसकॅफे, नेसले, डेल्का, ब्रू, सनराईज, थ्री फ्लावर्स
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	लेहर, पेप्सी, सेवन–अप, मिरींडा, टीम, कोका–कोला, मॅकडॉवेल सोडा, मॅगोला, गोल्डस्पॉट, लिम्का, सिट्रा, थम्स–अप, स्प्रिंट, डयूक्स, फॅन्टा, कॅडबरी, कॅनडा ड्राय, क्रश
पीने का पानी	ॲक्वाकिना, किन्ले, नेसले नॅचरल
आईस्क्रीम	कॅडबरी, डॉलॉप, नाईस, ब्रुक ब्रांड के उत्पादन, क्वालिटी वॉल्स, कॉरनेली, बास्कीन–रॉबिन्स, यांकी–डूडल्स, कॉरनेट्टो
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	डालडा, क्रिस्टल, लिप्टन, अन्नपूर्णा नमक, आटा और चपाती, मॅगी, किसान, तरला, ब्रुक–बॉंड, पिल्सबरी आटा, कैप्टन कुक नमक और आटा, मॉडर्न चपाती, कारगिल आटा, अंकल चिप्स, लेज, लेहर
विद्युत उपकरण गृहोपयोगी वस्तु	जीईसी, फिलिप्स, सोनी, टीडीके, निप्पो, नॅशनल–पैनासोनिक, शार्प, जीई, व्हर्लपूल, सैमसंग, देवू, तोशीबा, एल जी, हिताची, थॉमसन, इलेक्ट्रोलक्स, अकाई, सानसूई, केनवुड, आइवा, ऑल्विन फ्रिज, कैरियर, कोंका, टपरवेयर, जापान लाईफ, ओमेगा, टाइमेक्स, राडो, पायोनियर, टपरवेअर, जपान लाईफ
घड़ियां	ओमेगा, टाईमेक्स, टीसीएल
लेखन सामग्री	पार्कर, पायलट, विंडसर–न्यूटन, फैबर–कैसेल, लक्ज़र, बिक, मॉट ब्लैक, कोरस, अेस, रोटरिंग, वेटसिंग
जूते, चप्पल पॉलिश	बाटा, प्यूमा, पॉवर, चेरी–ब्लॉसम, आदिदास, रिबॉक, नाइक, लीकूपर, गैसोलीन
तैयार कपड़े	ली के सभी उत्पाद, बर्लिंगटन, ॲरो, लकोस्ट, सॅनफिस्को, लेविस, पेपे जीन्स, रैंगलर, बेनेटोन, रीड एण्ड टेलर, बायफोर्ड

चार दशकों में कृषि की वास्तविक आय में गिरावट आई है। आर्थिक सहयोग संगठन (ओईसीडी) के हालिया अध्ययन के मुताबिक, 2000 से 2017 के बीच उपज का कम मूल्य दिए जाने के कारण किसानों को अनुमानतः 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अंकटाड द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन ने पहले अनुमान लगाया था कि फसल की कीमत को मुद्रास्फीति से समायोजित करने की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में फसल की कीमत 1985 और 2005 के बीच 20 साल की अवधि में लगभग स्थिर रही। जाहिर है कि खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकारों ने किसानों को निरंतर उनकी वाजिब आमदनी से वंचित रखा है। खाद्य कीमत कम रखने का पूरा बोझ किसानों पर डाल दिया गया। यानी उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की पूरी लागत किसानों ने वहन की है। किसानों को जान–बूझकर कम भुगतान किया जा रहा है, ताकि उद्योगों को सस्ते में कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह से किसानों की मात्र दो भूमिका है–उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्य उपलब्ध करवाना और उद्योगों को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध करवाना। कर्ज में पैदा होना और जीवन भर कर्ज में डूबे रहना नर्क में रहने जैसा है। जबकि हर साल कहा जाता है कि सरकार ने किसानों के लिए ऋण सीमा बढ़ाई है। जैसे–जैसे कर्ज बढ़ता जाता है, संकट बढ़ता जाता है, मैंने कभी अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को किसानों को उचित आय देने की बात करते नहीं देखा।

हिंदी प्रदेशों में प्रतिकूल चुनाव परिणाम के बाद सरकार ने पहली बार छोटे किसानों को वार्षिक छह हजार रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता देने के कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह अल्प राशि आर्थिक सोच में महत्वपूर्ण बदलाव का सूचक है–यानी कर्ज से आय समर्थन की ओर।

कृषि को मारने का सबसे अच्छा तरीका इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी कटौती करना है, जो देश की आबादी को 52 प्रतिशत रोजगार देता है।

लेकिन जो बात बहुत कम समझ में आती है, वह यह कि कृषि आय में गिरावट उस आर्थिक मॉडल का परिणाम है, जिसका हम पालन करते हैं। आर्थिक सुधारों को जीवित रखने के लिए कृषि को जान–बूझकर दरिद्र बना दिया गया है। इसी त्रुटिपूर्ण आर्थिक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने उद्योग में और अधिक निवेश करने का आह्वान किया है, ताकि युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लाया जा सके। यह ठीक वही काम है, जो करने का 1996 में विश्व बैंक ने भारत को निर्देश दिया था। यह मुख्य रूप से इस कारण से है कि 2011 और 2017 के बीच कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश जीडीपी के 0.3 से 0.5 प्रतिशत के बीच बना हुआ है। सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह के कुल निवेश में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है–2011–12 में निवेश जीडीपी का 3.1 प्रतिशत था, जो घटकर 2016–17 में 2.2 प्रतिशत रह गया। अब इसकी तुलना उद्योगों को दी जा रही रियायतों से करें, जो जीडीपी के पांच फीसदी के बराबर है। इसलिए कृषि को मारने का सबसे अच्छा तरीका इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी कटौती करना है, जो देश की आबादी को 52 प्रतिशत रोजगार देता है।

सीएमआईई की गणना के अनुसार, पिछले बारह महीनों में 56.6 लाख रोजगार का नुकसान हुआ है, उसमें से 82 फीसदी या 46 लाख रोजगार का नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। यह उस आर्थिक नीति का नतीजा है, जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को शहरों में धकेलना चाहता है, जिसे दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत है। इस नीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। खेतों में घटता स्वामित्व कोई समस्या नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिलना बड़ी समस्या पैदा करता है।

कृषि की जान–बूझकर उपेक्षा ने खेती को अलाभकर और पर्यावरणीय रूप से अस्थिर बना दिया है। जिस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वह यह कि भूख, गरीबी, युवाओं की बेरोजगारी, जबरन विस्थापन और जलवायु परिवर्तन, जिनसे भारत जूझ रहा है, उसका दीर्घकालीन समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश ही है। इन तमाम समस्याओं की गहरी जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। चूंकि कृषि प्रधान ग्रामीण व्यवसाय है, इसलिए किसी भी समझदार आर्थिक नीति का जोर कृषि को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में मानने से शुरू होता है। अकेले इसमें लाखों आजीविका को बनाए रखने की क्षमता है और इस तरह से यह अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बना सकता है। ❑❑

छोटे उद्योगों को समर्थन क्यों और कैसे?

नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद छोटे उद्योगों की परेशानियां बढ़ी हैं। इन कदमों से उनकी पूर्व से ही बढ़ती हुई परेशानियां और बढ़ी हैं। छोटे उद्योगों के मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014 में देश के कुल उत्पाद में छोटे उद्योगों का हिस्सा 29.8 प्रतिशत था, जो 2016 में घटकर 28.8 प्रतिशत हो गया था। जीएसटी तथा नोटबंदी के बाद यह गिरावट और तीव्र हुई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। छोटे उद्योगों की इन बढ़ती समस्याओं का मुख्य कारण आधुनिक तकनीकें हैं। आटोमेटिक मशीनों से बने माल की उत्पादन लागत कम पड़ती है। जैसे आधुनीक कपड़ा मिल में बनाया गया कपड़ा सस्ता पड़ता है, जबकि हथकरघा द्वारा बनाया गया कपड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए उपभोक्ता की दृष्टि से आटोमैटिक मशीनों को बढ़ावा देना उचित लगता है। यही कारण है कि छोटे उद्योगों की परिस्थिति बिगड़ रही है।

फिर भी छोटे उद्योगों को संरक्षण देने का आर्थिक कारण बनता है। मान लीजिये 1 लाख मीटर कपड़ा बुनने में कपड़ा मिल में 100 रोजगार बनते हैं, जबकि हथकरघे से उतने ही कपडे को बनाने में दस हजार रोजगार बनते हैं। ऐसे में यदि हथकरघों को समाप्त करके वह कपड़ा केवल कपड़ा मिल से बनाया जाए तो 9900 बुनकर बेरोजगार हो जायेंगे। सरकार को इन बेरोजगारों पर कल्याणकारी खर्च बढाने होंगे। जैसे– मनरेगा अथवा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। अतः कपड़ा मिल से उपभोक्ता को सीधे सस्ता कपड़ा मिलेगा लेकिन साथ ही कल्याणकारी खर्च बढ़ने से उसके उपर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा। अंततः उपभोक्ता को शायद लाभ न हो। इसलिए पहले बुनकरों को बेरोजगार बनाकर फिर उनके ऊपर कल्याणकारी खर्च करने से बेहतर हो सकता है कि हम उन्हें सीधे संरक्षण दें और कल्याणकारी खर्चे के टंटे में न पड़ें।

छोटे उद्योगों को संरक्षण देने का दूसरा आधार उद्यमिता के विकास का है। धीरुभाई अम्बानी जैसे महान उद्योगपति किसी समय छोटे उद्योग चलाते थे। यदि छोटे उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया जाता तो धीरू भाई जैसे लोग कोई उद्यम शुरू कर ही नहीं पाते और

बुनकरों को बेरोजगार बनाकर फिर उनके ऊपर कल्याणकारी खर्च करने से बेहतर हो सकता है कि हम उन्हें सीधे संरक्षण दें और कल्याणकारी खर्चे के टंटे में न पड़ें।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

उनकी उद्यमिता का विकास नहीं होता। जिस प्रकार छोटे बच्चे को संरक्षण देकर बड़ा किया जाता है, उसी प्रकार छोटे उद्योगों को संरक्षण देकर देश की उद्यमिता का विकास किया जाता है। उद्यमिता के विकास से देश में उत्पादन बढ़ता है, माल की उत्पादन लागत कम होती है और उपभोक्ता को सस्ता माल मिलता है। इस प्रकार यदि छोटे उद्योगों को संरक्षण दिया जाये तो उपभोक्ता का कांटा बराबर बैठ जायेगा। इन कारणों से छोटे उद्योगों को समर्थन देना चाहिए, इस बात के बावजूद कि उनकी उत्पादन लागत ज्यादा आती है।

प्रश्न है कि अब छोटे उद्योगों को यह संरक्षण दिया कैसे जाए? पहला उपाय है कि पूंजी सघन और श्रम सघन उद्योगों पर अलग–अलग दर से जीएसटी तथा इनकम टैक्स आरोपित किया जाये। जैसे मान लीजिये, आज कपड़े पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है। यह दर छोटे और बड़े उत्पादकों पर एक सामान रहती है। ऐसे में सरकार व्यवस्था कर सकती है कि श्रम सघन कपड़ा उत्पादकों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दे और बड़े कपड़ा उत्पादकों पर जीएसटी की दर बढ़कर 18 प्रतिशत कर दे। ऐसा करने से समग्र कपड़ा उद्योग पर जीएसटी की दर पूर्ववत लगभग 12 प्रतिशत रहेगी लेकिन उत्पादकों में श्रम सघन छोटे उत्पादकों को राहत मिलेगी। उनका उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि वे बड़े उत्पादकों का सामना कर सकेंगे। छोटे उद्योगों का धंधा चल निकलेगा, जिससे ऊपर बताये गये लाभ अर्थव्यवस्था को हासिल होंगे। इस फार्मूले में समस्या यह है कि बड़े उत्पादकों द्वारा कपडे के निर्यात की लागत ज्यादा आएगी, क्योंकि उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी आरोपित होगी। इसका उपाय यह है कि उन्हें कुछ रकम निर्यात सब्सिडी के रूप में दे दी जाये, जिससे निर्यात प्रभावित न हों।

सरकार जो छोटे उद्यमियों को ऋण में सब्सीडी देती है, उसका कुछ हिस्सा बैंकों को इंसेंटिव के रूप में दे। तब बैंक मैनेजर जो छोटे उद्योगों को ऋण अधिक संख्या में देंगे, उनकी शाखा का लाभ बढ़ेगा और वे छोटे उद्योगों को ऋण देने में रूचि लेंगे।

छोटे उद्योगों को समर्थन देने का दूसरा उपाय जीएसटी के अंतर्गत कम्पोजीशन स्कीम में परिवर्तन करने का है। वर्तमान में छोटे उद्योगों पर केवल 1 प्रतिशत जीएसटी देय होती है। लेकिन इसमें समस्या है कि छोटे उद्योगों द्वारा कच्चे माल की खरीद पर जो जीएसटी अदा की जाती है, उसका रिफंड नहीं मिलता है। जैसे एक बड़े उद्यमी ने अस्सी रूपये का कच्चा माल खरीदा और उस पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी अदा किया। 20 रूपये की उसने वैल्यू एड की और यह रकम जोड़कर उसने 100 रूपये में उस माल को बेचा। जिस पर 12 प्रतिशत यानि 12 रूपये उसने जीएसटी अदा की और खरीददार को कुल 112 रूपये में इस माल को बेचा। अब खरीददार ने इस 112 रूपये में 12 रूपये का जीएसटी का रिफंड प्राप्त कर लिया और उसकी शुद्ध लागत केवल 100 रूपये आई। इसकी तुलना में अब छोटे उद्यम की स्थिति को समझें। छोटे उद्यमी ने भी 80 रूपये में कच्चे माल को खरीदा उस पर 12 प्रतिशत की दर से 9.60 रू. जीएसटी अदा की और 20 रुपया उत्पादन खर्च जोड़कर उसकी शुद्ध लागत 109.60 पड़ी। इसमें 1 प्रतिशत से उसने जीएसटी अदा की और कुल 110.60 रूपये में इस माल को बेचा। परन्तु उसके द्वारा बनाये गए माल को खरीदने वाले को जो 10.60 रू. (9.60 एवं 1 रूपए) की जीएसटी छोटे उद्यमी ने अपने कच्चे माल पर अदा किया था, वह रिफंड नहीं मिलता है। इसलिए छोटे उद्यमी से खरीदने पर खरीददार को कुल 110.60 रूपये अदा करने पड़ते हैं। इससे स्पष्ट होगा कि वर्तमान व्यवस्था में बड़े उद्यमी से माल खरीदने पर लागत 100 रूपये आती है, जबकि छोटे उद्यमी से उसी माल को खरीदने पर लागत 110.60 रुपया आती है। यही कारण है कि छोटे उद्यमी दबाव में आ रहे हैं। इसका उपाय यह है कि छोटे उद्यमियों को अपने कच्चे माल पर अदा किये गये जीएसटी का नगद रिफंड देने की व्यवस्था की जाये।

तीसरा उपाय यह है कि छोटे उद्यमों को कर्ज देना बैंक मैनेजरों के लिए लाभप्रद बना दिया जाये। वर्तमान वयवस्था यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को आदेश दिया जाता है कि कुछ रकम छोटे उद्यमियों को ऋण के रूप में दें। लेकिन बैंक मैनेजरों के लिए तमाम छोटे–छोटे उद्यमियों को छोटे–छोटे ऋण देने में झंझट और रिस्क अधिक होती है। इसलिए वे छोटे उद्यमियों को ऋण देने में रूचि नहीं रखते हैं। वे पसंद करते हैं कि छोटे उद्यमियों को ऋण देने के स्थान पर उस रकम को नियमानुसार रिजर्व बैंक के पास जमा करा दें। इस समस्या का उपाय यह है कि सरकार जो छोटे उद्यमियों को ऋण में सब्सीडी देती है, उसका कुछ हिस्सा बैंकों को इंसेंटिव के रूप में दे। तब बैंक मैनेजर जो छोटे उद्योगों को ऋण अधिक संख्या में देंगे, उनकी शाखा का लाभ बढ़ेगा और वे छोटे उद्योगों को ऋण देने में रूचि लेंगे। ऐसा करने से हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं और रोजगार और उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। ❑❑

व्यावसायीकरण से हट कर विकास हो शिक्षा का उद्देश्य

भारत में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक जिस प्रकार स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय उद्योगपतियों व व्यापारियों के द्वारा खोले जा रहे है, वे सभी शिक्षा उद्योग के अंतर्गत आकर व्यावसायी उददे्श्य के लिए ही निर्मित हो रहे है। मानव व देश के विकास से उनका दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता है। इस सब से भारत को शिक्षित करने की लिए बनायी गयी शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। परिषदीय स्कूलों में समय से सरकार बच्चों को पुस्तकें, ड्रैस, बैंग, जूते, मौजे व स्वेटर तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, वहीं स्कूलों व संस्थानों में शिक्षकों, फर्नीचर व अन्य आवश्यकताओं का अभाव देखा जा रहा है। साफ–सफाई तक पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। गांव का स्कूल कहता है कि स्कूल की सफाई पंचायत करायेगी, जबकि नगर क्षेत्र में निजी सफाईकर्मी रखे जाते है। वेतन बचाने के लिए बहुत कम सफाईकर्मी रखे जाते है, जिससे स्कूलों में गंदगी का महौल बना ही रहता है।

शिक्षा का उददे्श्य बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बनाना होता है। स्वामी विवेकानंद भी शिक्षा से बालकों का सर्वांगीण विकास की धारणा रखते थे जिससे बालक भविष्य में आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खडा हो जाये। वह किसी पर भी किसी प्रकार से आश्रित न बने। आजकी शिक्षा को माना जाता है कि उसमें बालक को साक्षर ही किया जाय है उसे शिक्षित नहीं, जिससे शिक्षा का उददेश्य मात्र नौकरी प्राप्त करना ही हो गया है। शिक्षा का संबंध मात्र पुस्तक से हो गया है, जिससे बालक में नैतिकता व इंसानियत नहीं आ पाती है। छात्र का भी उददे्श्य डिग्री प्राप्त कर लेना मात्र है। आदर्श शिक्षा के अभाव में भारत में अनैतिक कार्य व भ्रष्टाचार बढ़ा है तथा शिष्टाचार में भारी कमी आयी है। व्यावसायी प्रवृति के लोगों ने इस सब से लाभ उठाकर शिक्षा को लाभ कमाने का माध्यम बना लिया है।

शिक्षा का उददे्श्य बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बनाना होता है। स्वामी विवेकानंद भी शिक्षा से बालकों का सर्वांगीण विकास की धारणा रखते थे जिससे बालक भविष्य में आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खडा हो जाये।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने छात्रों को सबसे प्रथम इंसान बनाना सिखायें। ऐसी शिक्षा कतई न दें कि वे मनोरोग के शिकर हो जायें व विक्षिप्तता को प्राप्त कर हैवानियत की ओर अग्रसर हो जायें। पढ़ना लिखना व ज्ञान प्राप्त करने से ही एक छात्र एक अच्छा इंसान बनता है। परन्तु आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय हिंसा, नफरत, क्रूरता व देशद्रोह के अड्डे बनते जा रहे है। हालांकि हिंसा से प्रेरित होकर ही लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद या बाजार पर आधारित विभिन्न व्यवस्थाओं ने जन्म लिया है।

हिन्दू संस्कृति में शिक्षा को धन से नहीं जोडा गया तथा इसमें बौद्धिक ज्ञान व आत्मज्ञान दोनों का ही समन्वय करके शिक्षा के बाजारीकरण को अनैतिक बताया गया। बौद्धिक ज्ञान भौतिक तथा आत्मज्ञान आध्यात्मिक माना जाता है जो व्यक्ति को इंसान बनाते है।

आधुनिक युग के प्रारम्भ तक भारत की शिक्षा आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों से जुडी हुई थी परंतु कालान्तर में अंग्रेजों के द्वारा भारत की शिक्षा पद्धति पश्चिमी शिक्षा की ओर अग्रसर कर दी गई, परंतु भारत की स्वंतत्रता के सत्तर वर्ष के उपरान्त भी भारत अपनी स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर सका है इसलिए भारत में भी वे सभी दोष आ गये है जो पश्चिमी समाज में आये हुए है। नतीजा है कि समाज में हिंसा निरंतर बढ़ती ही जा रही है।

पूंजीवाद से बाजार व्यवस्था विकसित हो गई है जिसमें मांग व पूर्ति का सिद्धांत कार्य करता है अर्थात वही शिक्षा दी जाती है जिसकी बाजार में मांग हो। शिक्षा का मूल्यांकन धनार्जन से किया जाने लगा है अर्थात बच्चों को वही शिक्षा अथवा डिग्री दिलवाई जाये जिससे वह शीध्र से शीघ्र अधिक से अधिक धन कमाये चाहें वह आंतकवाद, नक्सलवाद, अपराध, साम्प्रदायिक दंगों से ही क्यों न प्राप्त हों?

हिन्दू संस्कृति में शिक्षा को धन से नहीं जोडा गया तथा इसमें बौद्धिक ज्ञान व आत्मज्ञान दोनों का ही समन्वय करके शिक्षा के बाजारीकरण को अनैतिक बताया गया। बौद्धिक ज्ञान भौतिक तथा आत्मज्ञान आध्यात्मिक माना जाता है जो व्यक्ति को इंसान बनाते है। पश्चिमी शिक्षा में नैतिक व आत्मबल न होकर शारीरिक बल व प्रतिस्पर्धा की भावना पर जोर दिया जाता है जिसमें विजेता स्वंय को गौरवान्वित व पराजित स्वंय को उपेक्षित महसूस करता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में बालक को नैतिक बल से युक्त कर बौद्धिक स्तर पर शिक्षा के प्रत्येक विषय में बढ़ाना होता है तथा धर्म व दर्शन विषय सभी विषयों को साथ पढाते थे। धर्म का अर्थ जीवन को सार्थक बनाने वाले नियम ही थे न कि कोई पूजा पद्धति।

यूरोप में मनुष्य की मूल प्रवृति संघर्ष व हिन्दू परंपरा में मूल प्रवृति सहयोग की मानी गई है। सहयोग से ही सभ्यता जीवित रह सकती है। संघर्ष से समाज टुकडे–टुकडे हो जाता है। वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता पर तो चिंता प्रकट की जाती है, गुणवत्ता कैसे बने रह सकती है जबकि स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक में शिक्षकों के 40–50 प्रतिशत पद रिक्त है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संस्थानों में नियमित अध्यापकों का अकाल पडा रहता है। सरकारी स्कूलों से लोगों का लगभग मोह ही भंग हो चुका है। जिसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर भी अवश्य ही पडता है। परीक्षा में बालक का सारा ध्यान रटे रटाये प्रश्नों के उत्तरों पर ही होता है। आगे बढ़ाने के लिए बालक को कडी प्रतिस्पर्धा की स्थिति से गुजर कर तनाव की स्थिति में रहना पडता है।

कोचिंग मनचाही शुल्क वसूल करके चयनित होने की गांरटी देकर नकल माफियाओं का निर्माण कर लेते है। इन सभी पर सरकार व समाज दोनेां को ही ध्यान देना होगा। बालक को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर वर्तमान की मूलभूत समस्याओं व परिस्थितियों का ज्ञान कराना आवश्यक है। चाहे पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल स्त्रोतों का विलुप्त होना, जंगल व तलाबों का महत्व कम होना, जलवायु परिवर्तन, ओजोन की परत का कमजोर होना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, सामाजिक हिंसा, नकली दवाईयां, मानव व प्रकृति में तालमेल न होना, अपराध, हत्या, कृषि, उद्योग की समस्याएें, श्रम व जनसंख्या की समस्या इत्यादि का व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है जिससे बालक जब मनुष्य बनें तो उसे सभी समस्याओं का ज्ञान हो तभी वह उनको कुशलतापूर्वक सुलझाकर स्वयं व समाज का विकास कर सकेगा। केन्द्र व राज्य सरकारों को शिक्षा को प्राथमिकता वाली सूची में रखना चाहिए। ❑❑

चीनी फैक्ट्री के प्रदूषण से त्रस्त अनेक गांव

बहराईच जिले (उत्तर प्रदेश) के केसरगंज ब्लाक व आसपास के क्षेत्र में अनेक गांव एक चीनी फैक्ट्री के प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस फैक्ट्री के अवशेष एक नाले को बुरी तरह दूषित कर रहे हैं। गांववासियों ने बताया कि यह नाला आगे जाकर सरयू नदी में मिलता है जो बहुत पवित्र नदी मानी गई है व अयोध्या की ओर बहती है।

गांववासियों ने बताया है कि इस प्रदूषण से झोपड़वा, इटऊंवा, लालपुर, जलालपुर, सेमनीपुर, परसोंडी आदि अनेक गांवों के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। गांववासियों ने आगे बताया कि उनके अनेक पशु इस नाले के पानी को पीकर मर चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस नाले में गंभीर प्रदूषण के असर से अनेक बार मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। पेड़ों व झाड़ियों के बीच में से नजदीक जाकर जब इस नाले के पानी को लेखक ने पास से देखने का प्रयास किया तो यह पानी प्रदूषण के असर से पूरी तरह काला नजर आया।

गांववासियों ने बताया कि समय–समय पर नाले की ओर से बहुत दुर्गंध आती है जिसका उनके स्वास्थ्य पर, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि वह पहले ही दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तिस पर यदि इस नाले में बहाए गए खतरनाक अवशेषों का असर उनके भूजल पर भी पड़ेगा तो यहां का पानी स्वास्थ्य के लिए और भी अधिक खतरनाक हो जाए और तक उनका गांव में गुजर–बसर ही कठिन हो जाएगा।

अतः गांववासी चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इस प्रदूषण को रोका जाए। उन्होंने इसके लिए आवेदन भी दिए थे पर अभी तब इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वे चाहते हैं कि प्रशासन इस समाधान के लिए शीघ्र कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो पवित्र सरयू नदी का प्रदूषण कम करने में भी बहुत सहायता मिलेगी। ❑❑

गांववासियों ने बताया कि समय–समय पर नाले की ओर से बहुत दुर्गंध आती है जिसका उनके स्वास्थ्य पर, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है।

– भारत डोगरा

आरक्षण व्यवस्था एवं उसका प्रभाव

संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण आरक्षित वर्ग के लिए अधिकार सा बन गया है, आरक्षण के बल पर दलित वर्ग को अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग अपना अधिकार मानते हुए उस पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप को संविधान की भावना के विपरीत तथा उनके अधिकार से वंचित किए जाने की साजिश मानकर उसके विरोध में प्रवृत्त हो जाते हैं।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

मोदी सरकार द्वारा भारतीय संसद में 124वें संविधान संशोधन को पारित कराने के बाद उस पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होते ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सवर्ण समाज के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान कानून का रूप धारण कर चुका है। सरकार द्वारा यह प्रावधान ऐसे समय में किया गया है जब न तो सवर्ण समाज उसकी मांग कर रहा है और न ही उसके द्वारा आरक्षण हेतु किसी प्रकार का आंदोलन चलाया चलाया जा रहा है। सवर्ण समाज को इस आरक्षण से कुछ प्राप्त होगा या नहीं यह तो भविष्य में देखने को मिलेगा, किंतु आज आरक्षण व्यवस्था एवं उसका प्रभाव विमर्श का विषय बन गया है।

संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण आरक्षित वर्ग के लिए अधिकार सा बन गया है, आरक्षण के बल पर दलित वर्ग को अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग अपना अधिकार मानते हुए उस पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप को संविधान की भावना के विपरीत तथा उनके अधिकार से वंचित किए जाने की साजिश मानकर उसके विरोध में प्रवृत्त हो जाते हैं। आरक्षण की यह सुविधा यद्यपि अनुसूचित जाति ,जनजाति एवं पिछड़े वर्ग में समान रूप से प्रभावी है किंतु व्यवहार में यह जहां एक और पिछड़े वर्ग की गिनी चुनी एक–दो जातियों तक ही सीमित है। पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों के लिए यह दूर की कौड़ी है, वहीं दूसरी ओर दलित वर्ग में से जिन लोगों ने एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया है उन्हीं के घर में आरक्षण की समस्त सुविधाएं केंद्रित हो गई है। आम दलित एवं पिछड़े वर्ग तक आरक्षण के माध्यम से पहुंच रहा प्रकाश अब भी मीलों दूर है। आरक्षण के बल पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग में भी निम्न वर्ग तथा उच्च वर्ग के रूप में दो वर्ग स्पष्ट रूप से बन गए हैं, जिनमें से उच्च वर्ग आरक्षण का निरंतर लाभ उठा रहा है, वहीं निम्न वर्ग आरक्षण की सुविधा की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पा रहा। सरकारें एवं राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ हानि का गुणा भाग कर आरक्षण की व्यवस्था को निरंतर चलाते हुए समाज में विभाजन पैदा कर अपना वोट बैंक पुख्ता कर रहे हैं,किंतु संविधान की भावना के

अनुरूप आरक्षण की अवधि पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण सीमित अवधि के लिए था, जिसकी समीक्षा कर उसे समाप्त करने का प्रावधान संविधान में किया गया था। वस्तुतः संविधान में आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक बीमारी के रूप में स्वीकार की गई थी, क्योंकि जहां एक और इसके माध्यम से दलित कुचले दबे वर्ग को आगे आने की कल्पना की गई थी वहीं दूसरी ओर उसे राष्ट्रीय चेतना, विकास, हित एवं संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के विपरीत माना गया है। फिर भी उसे स्वीकार कर राष्ट्र द्वारा राष्ट्रहित के मूल्य परअंगीकार किया गया है, किंतु आज वह निरंतर सुरसा के मुंह की तरह फैलता चला जा रहा है।

भारत में वंचित वर्ग के लिए नौकरियों की मांग सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले द्वारा 1822 में की गई थी। स्कूलों में दलित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु छत्रपति शाहूजी महाराज द्वारा वर्ष 1901 में स्कूल खोलकर उनके प्रवेश हेतु व्यवस्था की गई थी, जिसे बाद में यह पाए जाने पर कि शासकीय विद्यालयों में दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने अपने द्वारा खोले गए विद्यालयों को बंद कर दिया था। वर्ष 1901– 1902 में ही कोल्हापुर रियासत के द्वारा अधिसूचना जारी कर वंचित एवं पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था देश मे नौकरियों में आरक्षण लागू किए जाने की प्रथम घटना है, इसे आरक्षण का प्रथम आधिकारिक एवं राजकीय आदेश भी माना जाता है। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास से भारतीय संविधान में स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु आरक्षण व्यवस्था प्रभावी की गई थी, तब से निरंतर यह व्यवस्था प्रभावी है, जबकि संविधान में आरक्षण देने की व्यवस्था के साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद इसका परीक्षण किया जाएगा और उपयुक्त पाए जाने पर इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, किंतु संविधान की व्यवस्था के अनुसार उसका न तो कभी परीक्षण किया गया और न ही उसे समाप्त करने की दिशा में कोई प्रयास किया गया। वस्तुतः आज आरक्षण व्यवस्था समाज के किसी वर्ग विशेष के उत्थान, संवर्धन या संरक्षण का विषय या आधार ना होकर राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बनाने का एक माध्यम बन गया है। हर राजनीतिक दल येन– केन प्रकारेण कुछ जाति एवं वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर अपने आप से जोड़ना चाह रहा है तथा उसका नुमाइंदा बनकर जाति एवं वर्ग विशेष को अपने वोट बैंक के रूप में संगठित कर रहा है। यह अलग तथ्य है कि इस प्रयास में उस वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का कोई प्रयास किसी राजनीतिक दल या सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। विडंबना है कि समाज के निम्नतम तबके के व्यक्ति के उत्थान के लिए संविधान में की गई व्यवस्था का दुरुपयोग कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है तथा आरक्षण से प्राप्त होने वाला लाभ कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित होकर रह गया है। उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि आरक्षण व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर चाहे शासकीय नौकरियां प्राप्त करने का प्रश्न हो अथवा संसद/विधान मंडल की सदस्यता प्राप्त करने का। समस्त आरक्षित पद आरक्षित वर्ग के एक वर्ग– विशेष के लिए ही आरक्षित होकर रह गए हैं, आरक्षित श्रेणी के जनसामान्य के लिए आरक्षण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।जिन परिवारों से आरक्षण का लाभ प्राप्त कर कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में अवसर प्राप्त कर चुका है उसके ही परिवार के लोग निरंतर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवाओं में स्थान बना रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाला आरक्षित वर्ग का व्यक्ति शासकीय सेवाओं से दूर गांव या शहर की गलियों में मेहनत मजदूरी, रिक्शा आदि चलाकरअपना जीवन यापन कर रहा है। वह न तो शासकीय सेवा प्राप्त करने हेतु अपेक्षित शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है और न ही शासकीय सेवाओं में कोई स्थान। इसी प्रकार संसद या विधान मंडल में सदस्य के रूप में प्रायः नामचीन लोग वंश परंपरा से और अपने बाहुबल की क्षमता से निरंतर कब्जा किए हुए हैं। इस देश एवं आरक्षित वर्ग का दुर्भाग्य है कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों में प्रमुख स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जीवन भर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने रहने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम जैसे प्रभावशाली व्यक्ति भी निरंतर आरक्षित सीट से ही संसद पहुंचते रहे।

पिछड़े वर्ग को दिया गया आरक्षण क्रीमी लेयर के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है और यह क्रीमी लेयर 800000 वार्षिक आय निर्धारित की गई है। बड़ी विचित्र स्थिति है कि जहां एक ओर 800000 वार्षिक आय को समृद्धि का परिचायक मानकर सुख समृद्धि कर इनकम टैक्स लिए जाने का प्रावधान है, वहीं 800000 की वार्षिक आय तक की सीमा में आने वाले व्यक्तियों को पिछड़ा भी मान लिया जाता है और उसे आरक्षण प्रदान किया जाता है।

जहां तक मोदी सरकार द्वारा सवर्ण समाज को 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण का प्रश्न है? उससे आरक्षण व्यवस्था का विमर्श ही पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। अब तक सवर्ण समाज या आरक्षण का विरोध

कर रहे वर्ग द्वारा आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत नौकरियों में आने वाले व्यक्तियों को योग्यता एवं क्षमता विहीन बताते हुए योग्यता पर अयोग्यता को लादे जाने एवं योग्यता को दरकिनार कर अयोग्यता को प्रतिष्ठापित किए जाने का आरोप लगाया जाता रहा है किंतु सवर्ण समाज को दिए गए इस आरक्षण से योग्यता पर अयोग्यता को लादे जाने का तर्क एवं आरोप अपने आप में स्वयं धराशायी हो गया है, सवर्ण समाज के किसी व्यक्ति द्वारा यह प्रश्न नहीं उठाया गया कि इस आरक्षण से भी योग्यता पर अयोग्यता हावी होगी और योग्यों पर अयोग्य लाद दिए जाएंगे।

वस्तुतः स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र के लिए आरक्षण एक अभिशाप है किंतु हमारे देश में विषमता की खाई इतनी विशाल है कि उसको भरने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाना प्रथम दृष्टया उपयुक्त प्रतीत होता है किंतु सोचनीय है की क्या यह व्यवस्था उपयुक्त है? सरकार का यह दायित्व है कि वह समाज के हर व्यक्ति वर्ग को शिक्षा एवं विकास के समान अवसर प्रदान करें, जिसके बल पर सबको एक समान परिवेश में समान योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो और वह अपनी योग्यता के बल पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकें, किंतु सरकारें अनेक प्रकार के दबाव एवं प्रलोभन में राष्ट्र एवं समाज को समान शिक्षा एवं विकास के अवसर न प्रदान कर तरह तरह से आरक्षण के लालीपाप जनमानस को वर्ग एवं जातियों में विभाजित कर बांटे जा रहे हैं, जिसका खामियाजा देश और समाज को निरंतर भुगतना पड़ रहा है। समाज के एक वर्ग को आरक्षण दिए जाने से दूसरा वर्ग तुरंत उसकी मांग को लेकर खड़ा हो जाता है। गुजरात का पाटीदार एवं हरियाणा पंजाब का जाट आंदोलन इसी प्रतिक्रिया में पैदा हुए आंदोलन है, जिनका समाधान

सवर्ण समाज को दिए गए इस आरक्षण से योग्यता पर अयोग्यता को लादे जाने का तर्क एवं आरोप अपने आप में स्वयं धराशायी हो गया है, सवर्ण समाज के किसी व्यक्ति द्वारा यह प्रश्न नहीं उठाया गया कि इस आरक्षण से भी योग्यता पर अयोग्यता हावी होगी और योग्यों पर अयोग्य लाद दिए जाएंगे।

सरकार को खोजे नहीं मिल रहा है निश्चित रूप से आरक्षण देश एवं समाज की समस्या का समाधान प्रस्तुत न कर धीमे जहर के रूप में राष्ट्र को विघटन की ओर ले जा रहा है तथा समाज में वैमनस्य पैदा कर एक वर्ग को दूसरे वर्ग का प्रतिद्वंदी एवं दुश्मन बना रहा है।

जहां तक राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण व्यवस्था प्रभावी किए जाने पर लाभ उठाए जाने का प्रश्न है? किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति द्वारा आरक्षण किसी भी रूप में प्रभावी किए जाने पर उसे लाभ प्राप्त नहीं हो सका यह अलग तथ्य है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में उसका लाभ उठाया गया! उल्लेखनीय है कि 1979 में जनता दल के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया, किंतु उक्त आधार पर न तो मोरारजी देसाई और न ही जनता दल को किसी चुनाव में कोई लाभ प्राप्त हो सका। मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने श्री वी.पी सिंह ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया किंतु चुनाव में उन्हें भी इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उनके बाद क्षेत्रीय दलों के रूप में अस्तित्व में आए विभिन्न राजनीतिक दलों ने जातिगत आधार पर उसका लाभ अवश्य उठाया।

आर्थिक आधार पर सवर्ण समाज को दिया जा रहा है यह आरक्षण जहां एक और सवर्ण समाज को मात्र आरक्षण का झुनझुना पकड़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर आरक्षित वर्ग में आने वाले दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर आरक्षण को लेकर तरह–तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है।

'सबका साथ सबका विकास' के नारे के साथ सत्ता में आई सरकार को चाहिए कि वह सुरसा के मुंह की भांति निरंतर अपना मुंह फैला रहे आरक्षण व्यवस्था के मुंह को बंद करने का प्रयास करें तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति युवा को समान विकास के अवसर प्रदान करें और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करें और यह तभी संभव है जब किसी व्यक्ति या वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त कर सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण के स्थान पर संरक्षण प्रदान किया जाए और प्रत्येक शिशु को सामान परिस्थितियों में समान शिक्षा उपलब्ध कराकर समान प्रतियोगिता में भाग लेकर समान अवसर प्रदान किए जाएं यह तभी संभव है जब सरकार वस्तुतः कल्याणकारी सरकार हो तथा वह अपनी स्वार्थ परता की भावना से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास नारे को मूर्त रूप देते हुए सबको आरक्षण के स्थान पर पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हुए विकास के समान अवसर प्रदान करें, जिससे देश और समाज में आरक्षण की न तो आवश्यकता हो और ना ही उसके कारण देश के अंदर उसके नागरिकों में किसी प्रकार का वैमनस्य हो। सर्वत्र समरसता हो तथा सब सुखी हों और सर्वे भवंतु सुखिनः के अर्थ को चरितार्थ करें। ❑❑

आरक्षण राजनीति नहीं, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का माध्यम

हमारे संविधान निर्माताओं ने दलितों एवं आदिवासियों (एससी और एसटी) की अति दयनीय दशा को देखते हुए और देश के संसाधनों, अवसरों एवं शासन प्रणाली में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकाल कर देश की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए काफी सोच समझकर उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। इसके पीछे सोच यह भी थी कि मुख्यधारा में शामिल होने से इन जातियों की तरक्की होगी, जिससे जाति व्यवस्था कमज़ोर होगी, और अंततः ख़त्म हो जायेगी।

संविधान निर्माताओं ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण का यह प्रावधान अस्थायी रूप से केवल 10 वर्षो के लिए किया था। लेकिन बाद के नेताओं की वोट बैंक की राजनीति ने इसे धीरे–धीरे स्थायी व्यवस्था में तब्दील कर दिया और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए इसे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार होने का भ्रम पैदा कर दिया।

सरकारों ने भी वोटों के नफा–नुकसान को तौलते हुए आरक्षण की श्रेणी में कई नई जातियों को ले लिया। आज स्थिति यह है कि जो लोग अपने आप को पिछड़ा कहे जाने पर आपत्ति उठाते थे और बुरा मान जाते थे, यहाँ तक कि एक समय आरक्षण के खिलाफ आन्दोलनों के सूत्रधार हुआ करते थे वही पाटीदार समाज से लेकर गुर्जर और मराठा सहित अनेकों जातियां अपने आप को पिछड़ा कहलाने और आरक्षण प्राप्त करने के लिए हिंसा पर उतर आये है। आरक्षण का अधिकतर लाभ उन्हें ही मिलता है जिसे अब उसकी जरुरत नहीं है लेकिन जाति–विशेष का होने मात्र से आरक्षण का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। समाज की मुख्य धारा में आ गए लोगो को आरक्षण का लाभ मिलते रहना कहाँ तक न्याय संगत है? लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है।

अरस्तू ने कहा था कि "अन्याय तब होता है जब एक समान लोगों के साथ असमान तरीके से व्यवहार किया जाता है और जब असमानों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है।" आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में यदि उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो अन्याय को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। यह जाति विशेष के मानवाधिकारों की सुरक्षा के नाम पर दूसरे अन्य लोगों के मानवाधिकारों को कुचलने जैसा है, जिसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह आरक्षण की यह मौजूदा नीति, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को ही पलीता लगा रही है।

आ थक समानता और शैक्षिक समानता, सामाजिक समानता का मार्ग स्वतः प्रशस्त कर देती है, जबकि आरक्षण की मौजूदा नीति लोगों को ने केवल लोगों को अपनी जातियों से चिपके रहने का प्रलोभन देती है।

– **विक्रम उपाध्याय**

2014 में रंगराजन कमिटी ने देश की 38 प्रतिशत या लगभग 45 करोड़ से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। जाहिर है इनकी पहचान मुश्किल नहीं है। काका कालेकर ने जब 1955 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी रपट राष्ट्रपति को दी थी तो लिखा था कि उन्होंने पिछड़ापन जातियों के आधार पर जो तय किया है, वह मजबूरी में किया है। सबसे अहम कि गरीबी या आर्थिक स्थिति को आरक्षण का पात्र मान लेने से निरंतर फ़ैल रहे जातीय विद्वेष को समाप्त किया जा सकता है। रही बात सामाजिक समानता कि तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आर्थिक समानता और शैक्षिक समानता, सामाजिक समानता का मार्ग स्वतः प्रशस्त कर देती है, जबकि आरक्षण की मौजूदा नीति लोगों को ने केवल लोगों को अपनी जातियों से चिपके रहने का प्रलोभन देती है, बल्कि उनके प्रति अन्य सामान्य जातियों में घृणा की भावना भी बढाती है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में बाधक है।❑❑

पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन की कंपनियों पर लगे अंकुशः मंच

स्वदेशी जागरण मंच ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर टिक टॉक जैसे चीनी सोशल मीडिया ऐप को बैन करने और सभी मोबाइल फोन से हटाने की मांग की है। मंच ने जैश–ए–मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में मदद न करने वाले चीन को 'दुश्मन देश' बताते हुए कहा है कि भारत में सभी चीनी कंपनियों और चीनी ऐप पर तत्काल अंकुश लगाया जाए।

स्वदेशी जागरण मंच का यह बयान कश्मीर में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के चार दिन बाद आया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में संगठन ने कहा है कि यह सभी भारतीयों का दायित्व है कि किसी ऐसे देश या व्यक्ति को होने वाले आर्थिक फायदों को रोकें जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादियों का समर्थन करता हो।

स्वदेशी जागरण मंच ने अपने बयान में कहा, 'ऐसे समय में हमारा यह मानना है कि सरकार चीनी कंपनियों के रास्ते में उसी तरह से रोड़ा अटकाए, जो अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि डेटा अब नया खेल है, इसलिए हमें चीनी कंपनियों को इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वे बिना किसी रोकटोक या निगरानी के भारतीय यूजर हासिल कर सकें।'

गौरतलब है कि भारत सरकार ने भी हाल में ऐसी नीति लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेन्ट शेयरिंग को आसान बनाने वाले मध्यस्थ ऐप को ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सके. इससे चीन के कई सोशल मीडिया ऐप पर असर होगा जो देश के किशोरों में काफी लोकप्रिय हैं।

किशोरों में लोकप्रिय ऐसे ही एक ऐप टिक टॉक के भारत में करीब 20 करोड़ यूजर हैं, जबकि पूरी दुनिया में उसके कुल यूजर 50 करोड़ हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में चीनी सोशल मीडिया और ई–कॉमर्स कंपनियों का विस्तार तेजी से हुआ है और जानकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं मानते। कहा जाता है कि टिक टॉक और हेलो जैसे ऐप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।

स्वदेशी जागरण मंच ने अपने पत्र में लिखा है, 'हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे चीनी कंपनियों की वजह से भारतीय स्टार्टअप को नुकसान न हो। चीनी कंपनियों के पास भरपूर नकदी होती है और इसकी वजह से वे भारतीय स्टार्टअप के तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, वे हमारी डेटा प्रभुसत्ता और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पहुंचा सकते हैं।' संगठन ने कहा कि भारत सरकार को देश में चीनी टेलीकॉम कंपनियों के कारोबार पर भी अंकुश लगाना होगा। इसके मुताबिक, चीनी कंपनियों ने भारत में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील 4जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए हैं और अब 5जी सेक्टर में भी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सुरक्षा पर खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। संभवतः संगठन का इशारा हुवावे और जेटीई जैसी कंपनियों की तरफ है।

https://aajtak.intoday.in/story/pulawama-attack-masood-azhar-pakistan-china-terrorist-swadeshi-jagran-manch-pm-restriction-chinese-companies-dat-1-1062591.html

बर्दाश्त नहीं करेंगे देवी–देवताओं का अपमानः एसजेएम

स्वदेशी जागरण मंच हिंदू देवी–देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे लेकर मंच के कार्यकर्ताओं ने शहर में दुकानदारों को जागरूक किया। वहीं कचहरी के आसपास देवी–देवताओं के नाम पर खोले गए होटलों, जिन पर मीट, मछली व मुर्गा बिकते हैं, उनके नाम बदल लेने या फिर मीट–मुर्गा की दुकान बंद करने की अपील की।

मुहिम में शामिल मंच के विभाग संयोजक लालबहादुर दूबे ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि लोग देवी–देवताओं के नाम पर होटल या दुकान खोलकर उसमें आपत्तिजनक सामानों की बिक्री करते हैं। जिससे लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है।

सह संयोजक लक्ष्मीकांत पांडेय ने कहा कि कहा कि इसके अलावा आजकल धूप, अगरबत्ती, नशीले पदार्थो जैसे बीड़ी व अन्य वस्तुओं पर देवी, देवताओं की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, जो कि सरासर गलत बात है। इससे धार्मिक भावना आहत होती है। राज्य सरकार देवी–देवताओं के नाम

या तस्वीर वाली वस्तुओं पर जल्द से जल्द रोक लगाए, नहीं तो मंच के कार्यकर्ता इसका कड़ा विरोध करेंगे।

इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच पहले शहर में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से उनके प्रतिष्ठान का नाम बदलने की अपील करेगा। नहीं मानने पर विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौके पर संघर्ष वाहिनी प्रमुख विनोद चौबे, संपर्क प्रमुख सुशील कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य उपस्थित थे।

https://www.jagran.com/bihar/rohtas-swadeshi-jagran-manch-18973792.html

मोदी सरकार में एनजीओ का विदेशी चंदा 40 फीसद हुआ कम

गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेश से मिलने वाले चंदे में पिछले चार वर्षो में 40 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी परामर्शदाता फर्म बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्रलय ने 13 हजार से अधिक एनजीओ के लाइसेंस रद किए। रिपोर्ट में कहा गया है, 'विदेशी चंदे में करीब 40 फीसद कमी आई है। विदेशी चंदे को अधिनियमित करने वाले एफसीआरए के उल्लंघन पर सरकार द्वारा एनजीओ पर की गई कार्रवाई के कारण ऐसा हुआ।' कई संगठनों ने सरकारी कार्रवाई का विरोध किया और इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। मोदी सरकार ने पिछले साल रिजर्व बैंक के बोर्ड के सदस्य नचिकेत मोर का कार्यकाल कम कर दिया था। मोर भारत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के निदेशक हैं।

स्वदेशी जागरण मंच ने मोर को हटाने के लिए अभियान चलाया था। फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे बड़े विदेशी एनजीओ को भी सरकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस दौरान समाजसेवियों का निजी योगदान बढ़ा है।

https://www.jagran.com/business/biz-ngo-crackdown-has-foreign-fund-inflows-plunging-40-percent-since-narendra-modi-government-19033523.html

स्वदेशी जागरण मंच ने नोटा के बहिष्कार का आहवान किया

स्वदेशी जागरण मंच ने 25 फरवरी 2019 को बैठक का आयोजन किया। स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय बौद्धिक विचार प्रमुख अजय उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह आज से 50 साल पहले डायवोर्स नाम का शब्द हमारी भारतीय सभ्यता में नहीं था और लेकिन एक विदेशी सभ्यता धीरे–धीरे हमारी सभ्यता में शामिल हुआ है और हमारे समाज को वह विभिन्न रूपों में नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके परिणाम भयावह है, ठीक उसी तरह विगत कुछ वर्षों में लोकतंत्र के

महापर्व में 'नोटा' नाम के शब्द का आगमन हुआ है जो बुरी तरह से लोकतंत्र के महापर्व को प्रभावित कर रहा है। स्वदेशी जागरण मंच इसका घोर विरोध करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से 100 प्रतिशत मतदान का प्रयोग करते हुए नोटा के बहिष्कार का आह्वान किया है।

http://www.jantakiawaz.org/category/state/utterpradesh/news-609183

फूड डिलीवरी एप कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर स्वदेशी जागरण मंच की 'टेढ़ी नजर'

मोबाइल एप के जरिए फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां हजारों करोड़ के घाटे में हैं, बावजूद उन्हें 5.5 करोड़ ऑर्डर हर महीने मिल रहे हैं। वहीं स्वदेशी जागरण मंच ने इन कंपनियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए ई–कॉमर्स कंपनियों की तरह इन पर सख्ती करने की मांग की है।

दो सालों में 1371 करोड़ का घाटाः एप के जरिए फूड डिलिवरी इन दिनों देश में काफी पॉपुलर है और स्विगी, जौमेटो, ऊबर ईट्स और फूड पांडा जैसे कंपनियां घाटे के बावजूद ग्राहकों को डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। मार्च 2018 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में इन्हें 731 करोड़ का घाटा हुआ, वहीं 2016–17 में इन्हें 640 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। कुल मिला कर इन कंपनियों को दो सालों में 1371 करोड़ का घाटा हुआ। लेकिन बढ़ते घाटे के बावजूद ये कंपनियां डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं।

एफडीआई नियमों का उल्लंघनः स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन का कहना है कि कंपनियां सीधे–सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से ई–कॉमर्स कंपनियां डिस्काउंट के जरिए नियमों को तोड़ रही थीं तो ई–कॉमर्स नीति लाकर उन पर शिंकजा कसा गया, वैसे ही फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए अलग से नीति बनाए जाने की जरूरत है।

हर माह एप से 5.5 करोड़ ऑर्डरः वहीं इन कंपनियों का तर्क है कि वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने के लिए ऑफर और डिस्काउंट दे रही हैं। अभी देश में हर माह

एप से 5.5 करोड़ ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जिनमें 2.5 करोड़ स्विगी और 2 करोड़ जोमैटो पर आते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 तक भारत में एप के जरिए फूड डिलिवरी बिजनेस चार गुना बढ़कर 2.5 अरब डॉलर (करीब 17.7 हजार करोड़ रुपए) का हो जाएगा।

सरकार को लिखने वाले हैं पत्रः महाजन के मुताबिक वे जल्द ही इस बारे में सरकार को पत्र लिखने वाले हैं और मांग करने वाले हैं कि इन कंपनियों पर भी सख्ती की जाए ताकि छोटे व्यापारियों और रेस्टोरेंट मालिकों के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों का मॉडल भी ई–कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसा है। ये विदेशी निवेश के नाम पर पैसा लेकर उसे डिस्काउंट और ऑफर्स पर खर्च कर रही हैं, जो कि एफडीआई नियमों के खिलाफ है। महाजन ने कहा कि अगर इन पर जल्द ही शिकंजा न कसा गया, तो ये छोटे–छोटे रेस्टोरेंट्स पर ताला लगवा देंगी।

स्विगी और जोमैटो को 14 हजार करोड़ रुपए का मिला निवेशः स्विगी और जोमैटो को पिछले एक साल में 14 हजार करोड़ रुपए का निवेश मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा स्विगी के खाते में आया है। वहीं फूड पांडा को 1. 4 हजार करोड़ का निवेश मिलने वाला है। वहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने के बाद भी डिस्काउंट दिए जाना जारी है। जोमैटो, उबर ईट्स और फूड पांडा अब भी कई प्रोडक्ट पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दे रही हैं। वहीं खर्च के मामले में स्विगी सबसे आगे है। मार्च 2018 में खत्म वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 865 करोड़ खर्च किए।

कंपनियां	**रेवेन्यू (करोड़ों में)**		**घाटा (करोड़ों में)**	
	2016–17	**2017–18**	**2016–17**	**2017–18**
जोमैटो	332	466	390	106
फूड पांडा	45	89	45	228
स्विगी	133	442	205	397

https://www.amarujala.com/business/food-delivery-apps-zomato-swiggy-and-foodpanda-are-violating-fdi-rules-swadeshi-jagran-manch-slams

मजबूरी नहीं मजबूती है स्वदेशीः कश्मीरी लाल

'आज स्वदेशी हमारी मजबूरी नहीं, मजबूती है।' देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं से लेकर आविष्कार करने वाले युवा इसके उदाहरण है। इन्ही की दम पर हम याचक नहीं दाता बनेंगे। यह बात शिशु वाटिका में स्वदेशी जागरण मंच अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने मुख्य वक्ता के रूप में कही। वे मालवा प्रांत की स्वदेशी जागरण मंच के विस्तार के लिए शुजालपुर में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में शुजालपुर एवं कालापीपल स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के

मालवा प्रांत सह–संयोजक सुरेश बिजौलिया एवं पूर्व सैनिक दुर्गा प्रसाद परमार, हरिओम वर्मा आदि मौजूद रहे।

https://www.bhaskar.com/mp/shajapur/news/mp-news-indigenous-does-not-strengthen-our-compulsion-red-045003-4050404.html

महिला दिवस पर सात करोड़ हुई उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या

गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराने की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' ने एक और अहम मुकाम हासिल किया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सात करोड़वां एलपीजी कनेक्शन भेंट किया। प्रधान ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गीता नामक महिला को सात करोड़वां एलपीजी कनेक्शन दिया। प्रधान ने कहा कि सरकार ने सात करोड़ एलपीजी कनेक्शन 34 महीने में दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इस योजना के तहत हर दिन 69,000 गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सात करोड़वां एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। इस तरह यह योजना समय से काफी आगे चल रही है। इसे निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पीएम उज्ज्वला योजना पहली मई 2016 को लांच हुई थी। उस समय इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च अंत तक पांच करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य था। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2021 तक आठ करोड़ कर दिया गया। हालांकि अब सरकार ने सभी परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। सरकार की इस योजना का असर यह है कि मई 2014 में देश में 55 फीसद परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन था, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर 93 फीसद हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 42 फीसद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कनेक्शन दिए गए हैं।

प्रधान ने कहा कि पीएम उज्जवला योजना के तहत सर्वाधिक 1.26 करोड़ कनेक्शन उत्तर प्रदेश, 78 लाख पश्चिम बंगाल और 77.51 लाख बिहार में दिए गए हैं। मध्य प्रदेश

में 63.31 लाख और राजस्थान में 55.34 लाख कनेक्शन दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति सुधारने के लिए 6,800 नए वितरक जोड़े हैं।

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद 50 साल में कुल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे लेकिन बीते 55 महीने में लगभग इतने ही एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल्द ही देश में सभी परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त में उज्ज्वला योजना के तहत पांच करोड़वां तथा इस साल जनवरी में छह करोड़वां एलपीजी कनेक्शन दिया गया था।

https://www.jagran.com/business/biz-7-crore-lpg-connections-distributed-under-pradhan-mantri-ujjwala-yojana-in-34-months-19027768.html

इन काम करने वालों को मिलेगी 3000 रु. पेंशन

मोदी सरकार ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सरकार ने हर माह 3000 रुपए मंथली पेंशन (Monthly Pension) देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना लॉन्च की है, जिसके लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। लेबर मिनिस्ट्री ने उन 127 तरह के कामों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिन्हें करने वालों को ही असंगठित क्षेत्र का मानते हुए उन्हें पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। आइए, जानते हैं कि कौन से वो 127 काम हैं, जिन्हें करने वालों को ही पेंशन मिलेगी।

1. अगरबत्ती बनाने वाले, 2. खेती, 3. कृषि मशीनरी हैंडिलंग, 4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 5. पशु पालन, 6. शराब बनाने व वेडिंग से जुड़े वर्कर्स, 7. आशा वर्कर्स, 8. ऑडियो व विजुअल वर्कर्स, 9. ऑटोमोबाइल वर्क, 10. बेकरी में काम करने वाले वर्कर्स, 11. बैंड प्लेइंग, 12. चूड़ी बनाने वाले वर्कर्स, 13. मोती बनाना/छेदना, 14. ब्यूटिशियन, 15. बीड़ी बनाने वाले वर्कर्स, 16. साइकिल रिपेयर करने वाले, 17. बिंदी का काम करने वाले, 18. लोहार, 19. नाव, फेरी चलाने वाले, 20. बुक बाइडिंग करने वाले, 21. ईंट भट्टे पर काम करने वाले, 22. ब्रुश बनाने वाले, 23. ब्रेवरीज डिस्टिलरीज में काम करने वाले, 24. बिल्डिंग व रोड मेंटनेंस करने वाले, 25. बल्ब बनाने वाले, 26. भैंस व ऊंट गाड़ी चलाने वाले, 27. कसाई खाने में काम करने वाले, 28. केबल टीवी ऑपरेशन, 29. बेंत/ईख का काम करने वाले, 30. कारपेंटर, 31. कारपेट बुनने वाले, 32. काजू प्रोसेसिंग में काम करने वाले, 33. चिकन वर्क करने वाले, 34. कैटरिंग, 35. सिने सर्विस, 36. कपड़ा प्रिंटिंग, 37. क्लब और कैंटीन सर्विस वाले, 38. कोचिंग सर्विस वाले, 39. कॉयर प्रोसेसिंग व मैन्युफैक्चरर्स, 40. कंफेक्शनरी, 41. कंस्ट्रक्शन वर्क, 42. टेंट बनाने वाले, फंक्शन में डेकोरेशन करने वाले, 43. कोरियर सर्विस, 44. डायरी और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे लोग, 45. डाटा एंट्री ऑपरेटर, 46. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने व सप्लाई करने वाले, 47. डोमेस्टिक वर्क यानी घर में काम करने वाले, 48. डाइंग, 49. इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयर करने वाले, 50. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 51. इम्ब्रॉडरी वर्क करने वाले, 52. लिफाफा बनाने वाले, 53. पटाखे बनाने वाले, 54. फिशरी प्रोडक्शन करने वाले, 55. फिश प्रोसेसिंग करने वाले, 56. फलोरा वर्क व मालाएं बनाने वाले, 57. आटा चक्की चलाने वाले, 58. फुटवियर प्रोडक्शन वाले, 59. फोरेस्टी ऑपरेटर, 60. फाउंड्री, 61. बाग बगीचा व पार्क मेनटेन करने वाले, 62. गारमेंट मैन्युफैक्चर, 63. जेम कटिंग करने वाले, 64. गिनिंग, 65. ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरिंग, 66. सुनारी वाले, 67. हैयर ड्रेसर, 68. हैंडलूम बुनने वाले, 69. हॉकिंग एवं वेडिंग, 70. हेडलोड वर्क, 71. हेल्थ सर्विस, 72. शहद इकट्ठा करने वाले, 73. बागवानी और फूलों की खेती करने वाले, 74. होटल व रेस्टोरेंट वाले, 75. ताले बनाने वाले, 76. हाथ से काम करने वाले , 77. मसाला बनाने वाले, 78. माचिस बनाने वाले, 79. मिड डे मील वर्कर्स, 80. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गेदरिंग, 81. माइनर मिनरल व माइन वर्क करने वाले, 82. अखबार बेचने वाले, 83. एनजीओ सर्विस, 84. तेल निकालने वाले, 85. पैकिंग व पैकेजिंग, 86. पानवाला सर्विस, 87. पापड़ बनाने वाले, 88. पेट्रोल पम्प व उससे जुड़ी सर्विसेज का काम करने वाले, 89. आचार बनाने वाले, 90. प्लांटेशन करने वाले, 91. प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, 92. मिट्ट्टी के बर्तन बनाने वाले, 93. पावरलूम बुनकर, 94. प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले, 95. खदान का काम करने वाले, 96. कबाड़ बीनने वाले, 97. राइस मिल में काम करने वाले, 98. रिक्शा चालक, 99. नमक पैन का काम, 100. रेत खनन, 101. आरा मशीन पर काम करने वाले, 102. सफाई करने वाले, 103. सिक्योरिटी सर्विस, 104. रेशम के कीड़ों का पालन करने वाले, 105. सर्विस स्टेशन पर काम करने वाले, 106. चारागाह में करने वाले, 107. जूता चमकाने वाले, 108. दुकान में काम करने वाले, 109. छोटे कारखानों में काम

करने वाले, 110. साबुन बनाने वाले, 111. खेल का सामान बनाने वाले, 112. स्टील के बर्तन और बर्तन निर्माण, 113. पत्थर को कुचलने का काम करने वाले, 114. झाड़ू मारना वाले, 115. टैनिंग वाले, 116. टेलीफोन बूथ पर काम करने वाले, 117. मंदिर में पत्ते इकट्ठा करने वाले, 118 . तेंदू पत्ता इक्ट्घ्ठा करने वाले, 119. टिंबर उद्योग में काम करने वाले, जैसे फर्नीचर बनाने वाले, 120. तंबाकू प्रोसेसिंग का काम करने वाले, 121. टोडी टेपिंग वाले, 122. खिलौने बनाने वाले, 123. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाले जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर आदि, 124. लॉउंड्री वर्क करने वाले, 125. मिस्त्री मैकेनिक और वर्कशॉप में काम करने वाले, 126. वेल्डिंग का काम करने वाले, 127. इस तरह का अन्य काम करने वाले।

https://money.bhaskar.com/news/MON-MMTP-UTLT-govt-release-list-of-profession-and-occupations-covers-in-monthly-pension-scheme-6031437-NOR.html

2019 में होगा दुनिया का सबसे महंगा लोकसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव 2019 की डुगडुगी बज गई है। सात चरणों में होने वाले इस चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू होगा और आखिरी चरण 19 मई को समाप्त होगा। नतीजों की घोषणा 23 मई को होगी। इस बार का लोकसभा चुनाव खर्च के मामले में सबसे महंगा होने जा रहा है। इसका बजट अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से भी ज्यादा होने वाला है। अमेरिका स्थित एक चुनाव विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत में आगामी आम चुनाव भारत के इतिहास में और किसी भी लोकतांत्रिक देश के सबसे खर्चीले चुनावों में से एक होगा। 'कारनीज एंडोमेंट फोर इंटरनेशनल पीस थिंकटैंक' में सीनियर फेलो तथा दक्षिण एशिया कार्यक्रम के निदेशक मिलन वैष्णव ने पीटीआई–भाषा को बताया कि 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तथा कांग्रेस चुनावों में 46,211 करोड़ रुपये (6.5 अरब अमेरिकी डॉलर) का खर्च आया था। भारत में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 35,547 करोड़ रुपये (पांच अरब अमेरिकी डॉलर) खर्च हुए थे तो 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा आसानी से पार हो सकता है, ऐसा हुआ तो यह दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव साबित होगा।"

चुनावी खर्चे पर सेंटर फॉर मीडिया स्टडी (सीएमसी) के अनुसार 1996 में लोकसभा चुनावों में 2500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। साल 2009 में यह रकम बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गई थी। इसमें वोटरों को गैर कानूनी तरीके से दिया गया कैश भी शामिल है। ऐसे में इस बार खर्च के मामले में सभी रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में करीब 50 हजार करोड़ रुपये तक खर्च आ सकता है।

सभी दलों ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। सत्तापक्ष का फोकस दुबारा से वापसी करने का है, वहीं विपक्षी दलों के प्रत्याशी भी केंद्र सरकार को घेरते हुए अपने प्रचार का ताना–बाना बुन रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग की नजर टीवी, अखबार और रेडियो के अलावा सोशल मीडिया पर रहेगी, जिसके लिए दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सहूलियत का खासा ध्यान रखा गया है। कई ऐसी बातें हैं जो इस चुनाव में पहली बार होंगी।

- मतदाता 1950 पर डायल कर जानकारी ले सकेंगे
- इस बार 10 लाख बूथ, हर बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल, पहचान पत्र के 11 विकल्प
- मतदाता के पास नोटा का विकल्प,
- रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक
- चुनाव आचार संहिता लागू
- ईवीएम में प्रत्याशी की तस्वीर पहली बार
- सोशल मीडिया पर निगरानी को गाइड लाइन, सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए दलों–उम्मीदवारों को मंजूरी लेनी होगी
- ईवीएम की जीपीएस सिस्टम से ट्रैकिंग की जाएगी
- प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री पर रोक

आयोग के मुताबिक, पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिये 11 अप्रैल, दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर 18 अप्रैल को, तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को, चौथे चरण में नौ राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को, पांचवें चरण में सात राज्यों की 51 सीटों पर छह मई को, छठवें चरण में सात राज्यों की 59 सीटों पर 12 मई को और सातवें चरण में आठ राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा। वहीं 23 मई को मतगणना के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।

https://www.amarujala.com/business/business-diary/loksabha-elections-2019-will-be-the-costliest-one-in-the-whole-world?src=top-lead&pageId=1

इंटरनेट कंपनियों ने पिछले वर्ष जुटाए सात अरब डॉलर

ई–कॉमर्स और उपभोक्ता क्षेत्र की ऑनलाइन कंपनियों ने पिछले वर्ष प्राइवेट इक्विटी (पीई) और वेंचर कैपिटल (वीसी) के जरिए सात अरब डॉलर से अधिक जुटाए हैं। ईवाई ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। 'ई–कॉमर्स एवं उपभोक्ता इंटरनेट क्षेत्र–भारत ट्रेंडबुक 2019' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश पूंजी सप्लाई चेन स्थापित करने, नई श्रेणियों में विस्तार, अधिग्रहण/एकीकरण और नवीन उत्पादों की पेशकश के लिए जुटाई गई है।

ओयो, स्विगी, बायजू, पेटीएम मॉल, पाइन लैब्स, जोमैटो, उड़ान, पॉलिसी बाजार और क्रूफिट जैसी स्टार्ट–अप कंपनियों ने कुल मिलाकर पिछले वर्ष 4.6 अरब डॉलर जुटाए हैं। इस दौरान हुए सौदों में वालमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट में 16 अरब डॉलर में 77 फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण, अलीबाबा का बिगबास्केट और पेटीएम में निवेश, टेनसेंट का ड्रीम 11 में और नैस्पर्स का बायजू और स्विगी में निवेश शामिल हैं।

ईवाई इंडिया की ई–कॉमर्स एवं कंज्यूमर इंटरनेट यूनिट के पार्टनर और नेशनल लीडर अंकुर पाहवा ने कहा, 'भारतीय ई–कॉमर्स एवं उपभोक्ता इंटरनेट सेक्टर में पिछले वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निवेश देखा गया। यह भारत को दुनियाभर में निवेश के लिहाज से सबसे अनुकूल स्थानों में से एक बनाता है।'

https://www.jagran.com/business/biz-ecommerce-consumer-internet-companies-earn-more-than-7-billion-dollor-in2018-19027734.html

सरकार ने बीटी कपास के बीज की कीमत में की कटौती, 80 लाख किसानों को होगा फायदा

केंद्र सरकार ने बीटी कपास के बीजों के अधिकतम बिक्री मूल्य में कटौती कर दी है, इससे देश भर के लगभग 80 लाख कपास किसानों को फायदा मिलने की संभावना है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचिना के अनुसार 450 ग्राम वाले बीटी कपास (बॉलगार्ड–प्प) के पैकेट के भाव को घटाकर 730 रुपये (इसमें 20 रुपये रॉयल्टी समेत) कर दिया गया है।

फसल सीजन 2018–19 में बीटी कपास बीजों का अधिकतम बिक्री मूल्य 740 रुपये प्रति पैकेज था, जिसमें 39 रुपये रॉयल्टी शुल्क शामिल था। अतः आगामी खरीफ बुवाई सीजन के समय किसानों को 2018 सीजन की तुलना में 10 प्रति पैकेट कम भुगतान करना होगा। चालू फसल सीजन के लिए रॉयल्टी को 39 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति पैकेट कर दिया है। अतः घरेलू बीज कपंनियों को भी इससे लाभ मिलेगा, उन्हें डेवलपर को रॉयल्टी शुल्क के रुप में प्रति पैकेट 19 रुपये कम देने होंगे।

बीटी कपास बीज के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को कम करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि रॉयल्टी शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया जाए ताकि किसानों को कपास बीज के उंची क़ीमतों का 'अनावश्यक बोझ' न उठाना पड़े।

एसजेएम के सह–संयोजक अश्वनी महाजन ने एक मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बीटी कपास के बीजों के एमएसपी में रॉयल्टी शुल्क हटाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि बीटी कपास के पौधों को पिंक बोलवर्म (कीट) से बचाने के लिए डेवलपर कोई काम नहीं करता इसलिए ऐसी फीस वसूलने का कोई मतलब नहीं बनता।

केंद्र द्वारा दिसंबर 2015 में गठित एक पैनल द्वारा कपास बीज मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत बीटी कपास बीजों के दाम पहली बार 2016–17 में घटाए गए थे। पैनल ने 830–1,030 रुपये के पुराने दाम घटाकर प्रति पैकेट 800 रुपये कर दिए थे। इसी तरह प्रति पैकेट 163 रुपये रॉयल्टी वैल्यू को लगभग 70 फीसदी घटाकर 49 रुपये कर दिया गया था। यह कदम मई 2016 में जारी प्रारूप के दिशा–निर्देशों के बाद उठाया गया था, जिसमें रॉयल्टी वैल्यू को बीज के बिक्री मूल्य के 10 फीसदी पर सीमित कर दिया गया था और इसके बाद समय–समय पर इसे कम किया गया।

https://www.outlookhindi.com/agriculture/agri-trade/government-cuts-the-price-of-bt-cotton-seeds-80-lakh-farmers-will-be-benefitted-35246

द्वितीय स्वदेशी स्टार्टअप सम्मेलन

1 मार्च 2019 (आई.आई.टी. दिल्ली)

दिनांक 1 मार्च 2019 को आई.आई.टी, दिल्ली के प्रांगण में द्वितीय स्वदेशी स्टार्टअप कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम काफी उत्साहित करने वाला रहा। साथ में संख्या पक्ष भी उत्साहित करने वाला रहा। करीब 400 से ज्यादा स्टार्टअप ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी लोग इस सार्थक कार्यक्रम की सराहना करते दिखे। बहुत लोगों को कार्यक्रम के दौरान जगह नहीं मिल पाई इसके लिए हम सब आयोजक क्षमा चाहते है। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी मुख्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस स्वदेशी स्टार्टअप के कार्यक्रम को आई.आई.टी. दिल्ली का विशेष सहयोग रहा है।

कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संपर्क प्रमुख व दिल्ली–हरियाणा प्रांत संगठक श्री कमलजीत, स्वदेशी जागरण मंच के वरिष्ठ प्रचारक श्री सरोज मित्र, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन, उत्तर क्षेत्र के संयोजक श्री विजय वत्स, नीति आयोग के श्री उन्नत पंडित, भाजपा नेत्री शाजिया इल्मी, डी.एम.एस. आई.आई.टी. के अध्यक्ष श्री एम.पी. गुप्ता, आई.आई.टी. के प्रोफेसर हर्ष मिश्रा, आई.आई.टी. सी.आर.डी.टी. के प्रोफेसर विवेक, प्रो. नरेश प्रियदर्शी, प्रो. प्रवीण आर्य, प्रो. प्रवीण कपूर, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के प्रो. मनमोहन सिसोदिया, कालिंदी कॉलेज के डॉ. सालूजा बेरी आदि कई गणमान्य लोग का सानिध्य मिला।

पहले सत्र में स्टार्टअप और इनक्यूबेटर के बीच ब्रिज़िंग प्रोग्राम के तहद पैनल डिस्कशन किया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें 6 इंस्टीट्यूट के इनक्यूबेटर ने हिस्सा लिया। दूसरे सत्र में वक्ताओं का उद्बोधन, स्वदेशी स्टार्टअप की आवश्यकता और उद्देश्य पर विस्तृत चर्चा हुई। तीसरे सत्र में कुछ स्वदेशी स्टार्टअप ने अपने स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। अंत में स्वदेशी स्टार्टअप टीम ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। ❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

सचित्र झलकियां

डॉ. अश्वनी महाजन संपर्क अभियान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए

स्टार्ट–अप का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन, आई.आई.टी., दिल्ली (1 मार्च 2019)

हरियाणा में लघु ऋण व ई–रिक्शा वितरण कार्यक्रम

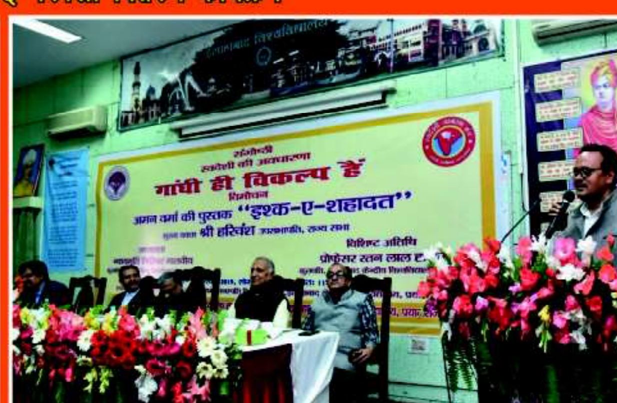

स्वदेशी संगोष्ठी, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15–16 मार्च 2019 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि

सचित्र झलकियां

श्री सरोज मित्र व श्री सतीश कुमार पुलवामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए (दिल्ली)

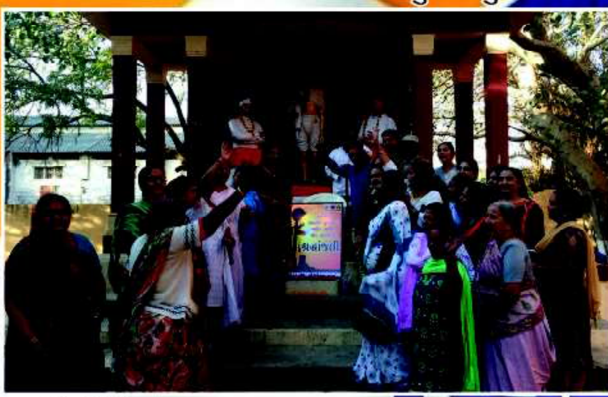

गुजरात

फरीदाबाद, हरियाणा

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

कुरुक्षेत्र, हरियाणा

नागपूर, महाराष्ट्र

सतना, मध्य प्रदेश

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती